

नगर परिषद पौंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.16 तक

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1-376/81-फिन (एल0ए0) खण्ड-पार्ट, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद -पौंटा साहिब, जिला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नियन्त्रक अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे:-

अवधि	अध्यक्ष का नाम	कार्यकारी अधिकारी का नाम
1.4.14 से 17.08.15 तक	श्री संजय सिंघल	श्री के.एस. ठाकुर
18.08.15 से 17.09.15 तक	श्री संजय सिंघल	श्री सुंदर सिंह नेगी
18.09.15 से 19.01.16 तक	श्री संजय सिंघल	श्री एच०एस०राणा, एस०डी०एम०
20.01.16 से 31.03.16 तक	श्रीमती कृष्णा धीमान	श्री एच०एस०राणा, एस०डी०एम०

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

क्रम संख्यां	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्यां	राशि (लाख ₹में)
1.	अनुदान की राशि व्यय/उपयोग हेतु शेष	5 (1)	786.24
2.	अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना	5 (2)	1002.38
3.	अनुदान की राशी निर्धारित मापदण्डों के प्रतिकूल सीधे स्थापना पर व्यय करना	5 (3)	264.36
4.	दो वर्षों से अधिक अवधि तक की अनुदान राशी का उपयोग न करना	5 (4)	108.57
5.	वित्तीय कुप्रबंधन के कारण सम्भावित आय की हानि	6 (1)	65.27
6.	विविध अग्रिमों के रूप में दी गई राशियों की वसूली शेष होना	7	88.34

7.	लीज धारकों से शेष वसूली	8 (2)	46.10
8.	दुकानों/शोरूमों से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की शेष वसूली	8 (3)	13.50
9.	भवन निर्माण नक्शा पारित हेतु देय शुल्क की कम वसूली करना	8 (7)	24.47
10.	उत्तेजक तथा संकट पूर्ण व्यापार (जोखिमपूर्ण व्यापार) हेतु जारी लाईसैन्स फीस की शेष वसूली	8 (11)	0.97
11.	हि.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम शिमला को दिए गए अग्रिम राशि के समायोजन वाउचर प्रस्तुत न करना	9	44.94
12.	नगरपालिका निधि से पेंशन एवम् उपदान निधि में अनियमित हस्तांतरण/अधिक भुगतान	10	47.03
13.	नगर परिषद निधि से पेंशन व् उपदान निधि में खाली पदों का भी पेंशन/ग्रेच्युटी अंशदान अनियमित जमा करना	12	1.38
14.	सीमेंट को सरकारी उपक्रम के माध्यम से क्रय करने की अपेक्षा स्थानीय खुले बाजार से उच्च दर पर क्रय करने पर सम्भावित वित्तीय हानि	13	14.23
15.	सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अर्जित अवकाश नगदीकरण का अधिक भुगतान	14	1.35
16.	निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से दंड शुल्क (penalty) की वसूली न करना	17	9.45
17.	सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक, व्यय व तकनीकी स्वीकृति को नज़रअंदाज़ करने हेतु निर्माण कार्यों को तीन लाख व पांच लाख से कम भागों में बाँटना	21	49.63
18.	ठेकेदार को negotiation अनुसार भुगतान न करने के कारण अधिक भुगतान	30 (1)	0.51
19.	निष्पादित कार्य प्रमात्रा की अनुबंधित भुगतान दर की घनमीटर की अपेक्षा वर्ग मीटर में गणना करने की त्रुटि के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान	tinu 33 (1)	1.02
20.	वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान	37	0.54
21.	सामान्य भविष्य निधि से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना अनियमित भुगतान	44	19.20
22.	सीमेंट के 389 बैग का संभावित दुर्विनियोजन का संशय	48 (ii)	1.17

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट “क” पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस

कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जा जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद -पौंटा साहिब, के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2016 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए हैं, दिनांक 26.12.2016 से 06.03.2017 तक श्री हेम राज भारद्वाज, सहायक नियंत्रक तथा श्री चेत राम ठाकुर, अनुभाग अधिकारी द्वारा नगर परिषद पौंटा साहिब स्थित कार्यालय में किया गया। इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 03/2015 तथा 03/2016 एवं व्यय के लिए 03/2015 तथा 11/2015 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन नगर परिषद कार्यालय -पौंटा साहिब, द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/ अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹83000 आंका गया जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद पौंटा साहिब से सहायक नियंत्रक (ले०प०) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या:31/2017 दिनांक 27.02.17 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अंकेक्षण शुल्क ₹83000, को पंजाब नेशनल बैंक - पौंटा साहिब के डिमांड ड्राफ्ट संख्या:UOM 330696 दिनांक 03.03.17 के माध्यम से पत्र संख्या: MCP/Accts/2016-17,265 दिनांक 03.03.17 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० शिमला-9 को भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

नगर परिषद पौंटा साहिब की अवधि 01.04.2014 से 31.03.2016 तक के लेखाओं पर आधारित वित्तीय स्थिति का विवरण (परिशिष्ट "ख") के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	लेखा शीर्ष	आरम्भिक शेष (₹में)	आय /प्राप्तियां (₹में)	कुल योग (₹में)	व्यय (₹में)	अंतिम शेष (₹में)
2014-15	स्वतः स्रोत	22021220.88	21486193.00	43507413.88	13744855.55	29762558.33
	अनुदान	101376914.00	45949457.00	147326371.00	53596376.00	93729995.00
	कुल जोड़	123398134.8	67435650.00	190833784.8	67341231.55	123492553.33

		8		8		
2015-16	स्वतः स्रोत	29762558.33	24009547.86	53772106.19	20020782.00	33751324.19
	अनुदान	93729995.00	44882585.00	138612580.00	59988627.00	78623953.00
	कुल जोड़	123492553.33	68892132.86	192384686.19	80009409.00	112375277.19

दिनांक 31.03.16 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही/बही खातों के अनुसार शेष=₹112375277.19

दिनांक 31.03.16 को विभिन्न बैंकों/सावधि जमा/हस्तगत राशि के शेष =₹112382327.19

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ बही/बही खातों एवं विभिन्न बैंकों /सावधि जमा /हस्तगत राशि के शेष में अंतर (₹112375277.19 - ₹112382327.19) = (-) 7050.00

[अंतिम शेष एवम बैंक समाधान का विवरण परिशिष्ट “ख” के अनुसार]

5 अनुदान

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट- “ग” के माध्यम से अंकेक्षण को अवधि 01.04.2014 से 31.03.2016 के दौरान अनुदान की प्राप्तियों एवम व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए विवरण का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:-

(1) दिनांक 31.03.16 को अनुदान की ₹786.24 लाख उपयोग हेतु शेष

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष में नगर परिषद अनुदान से उपलब्ध कुल धनराशी में से औसतन केवल 40% राशि ही व्यय कर पाई थी तथा शेष ₹786.24 लाख (31.03.16) बैंकों में अनुपयुक्त जमा पड़ी थी:-

वित्तीय वर्ष	अनुदान का आरम्भिक शेष (₹में)	वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान (₹में)	वित्तीय वर्ष में अनुदान से उपलब्ध कुल धन राशि (₹में)	वित्तीय वर्ष में अनुदान से उपलब्ध कुल धनराशी में से व्यय (₹में)	वित्तीय वर्ष में अनुदान से व्यय की प्रतिशतता
2014-15	101376914.00	45949457.00	147326371.00	53596376.00	36.38%
2015-16	93729995.00	44882585.00	138612580.00	59988627.00	43.28%

इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न योजनाओं हेतु उपलब्ध राशी का 100% उपयोग न करने के कारण ₹78623953 की सरकारी निधि अवरुद्ध हुई जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र की जनता को सरकार की विकासनात्मक योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। यह स्थिति निदेशक/सचिव, स्थानीय शहरी निकाय, हि०प्र० के ध्यान में अनुदानों की धनराशी का समयानुसार 100% उपयोग सुनिश्चित करवाए जाने हेतु लाई जाती है ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सम्बन्धित लोगों को समय से पहुंच सके।

(2) ₹1002.38 लाख के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को परिशिष्ट “ग” द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01.04.2014 से 31.03.2016 के दौरान ₹100237495 के अनुदान से व्यय की गयी राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित ही नहीं किए है। वर्णित अभिलेख के अभाव में अनुदान से व्यय की गई राशियों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाएं और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाए जाने के साथ-२ जारी किए उपयोगिता प्रमाण पत्र की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये।

(3) अनुदान में से ₹264.36 लाख निर्धारित मापदण्डों के प्रतिकूल सीधे स्थापना पर व्यय करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को परिशिष्ट “घ” के माध्यम से उपलब्ध करवाई गयी सूचना/अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि शीर्ष 4th SFC के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान राशि का अधिक से अधिक भाग सम्पत्तियों के सृजन व रख-रखाव पर खर्च किया जाना अपेक्षित था ताकि आय के स्रोतों में वृद्धि हो तथा इसके अतिरिक्त राशि को नगर परिषद को वैधानिक व हस्तांतरित कार्यों के निर्वहन और चुने हुए प्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान पर खर्च किया जाना था किन्तु अनुदान में से स्थापना पर सीधे व्यय का कोई प्रावधान नहीं था परन्तु निम्न वर्णित तथ्यों से स्पष्ट विदित होता है कि अनुदान के उक्त वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल स्थापना पर वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में क्रमशः 41.46% व 42.73% तथा अन्य वर्णित उद्देश्य पर केवल 58.54% व 57.27% ही खर्च किया गया है जो कि अनुदान उपयोग सम्बन्धी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्राप्त अनुदान को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अनुदान के उद्देश्य की पूर्ति के साथ-साथ परिषद की आय में भी वृद्धि हो और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

वित्तीय वर्ष	शीर्ष 4 th SFC के अंतर्गत प्राप्त कुल अनुदान की राशि (₹ में)	प्राप्त अनुदान का उद्देश्य	स्थापना पर व्यय किया गया (₹ में)	स्थापना पर अनुदान से व्यय की गई %age
2014-15	29487738	1.Maintenance of assets; 2.Performance of statutory & delegated functions;	12224162	41.46%
2015-16	33257527	3.Honorarium to elected representatives.	14211525	42.73%
कुल जोड़	62745265		26435687	42.13%

(4) दो वर्षों से अधिक अवधि तक अनुदान ₹108.57 लाख का उपयोग न करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार दो वर्षों से अधिक अवधि तक ₹10856615 की अनुदान राशि अनुपयोग पड़ी थी:-

क्रमांक	अनुदान लेखा शीर्ष	आरम्भिक शेष 01.04.14 (₹में)	व्यय 01.04.14 से 31.03.16 तक (₹में)	अंतिम शेष 31.03.16 (₹में)
1	Solid Waste Management	3813965	--NIL--	3813965
2	Sewerage scheme	6939000 (11.12.14)	--NIL--	6939000
3	S.C.S.T.Grant	13650	--NIL--	13650
4	Community Latrine grant	90000	--NIL--	90000
कुल जोड़		10856615	--NIL--	10856615

अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों में आमतौर पर अनुदानों को उपयोग करने की अवधि एक से दो वर्ष तक निर्धारित की गई होती है जबकि क्रमांक 1, 3 व 4 पर वर्णित अनुदान राशियाँ तो चार वर्षों से भी अधिक अर्थात् दिनांक 01.04.12 से पूर्व से अनुपयोग पड़ीं हैं। अतः वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि परिषद द्वारा योजनाओं हेतु उपलब्ध धनराशी का 100% उपयोग न करके बचत खाते में जमा रख कर सरकारी धन को, अनुदान की उपयोग समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी, अवरुद्ध रखा गया था जो कि सरकार द्वारा अनुदान उपयोग सम्बन्धी जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना है। अतः अब या तो उक्त अनुदान की राशियों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निर्धारित उद्देश्यों हेतु समयानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा सम्बन्धित स्रोत को लौटाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षण पैरा 6(1) से 6(4) तक के सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/8 दिनांक 03.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

(5) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति

नगर परिषद द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हेतु अलग से रोकड़ बही का रख रखाव किया गया था। परिषद द्वारा परिशिष्ट "ड०" के माध्यम से उपलब्ध करवाए गये सम्बन्धित अभिलेख व सूचना पर आधारित वर्णित योजना की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹ में)	अनुदान प्राप्तियां (₹ में)	ब्याज से आय (₹ में)	कुल योग (₹ में)	व्यय (₹ में)	अंतिम शेष (₹ में)
2014-15	2261226.39	1672647.00	83835.00	4017708.39	3672341.00	345367.39
2015-16	345367.39	0.00	13991.00	359358.39	0.00	359358.39

Detail of Closing Balances as on 31.03.16

Sr. No.	Name of Bank	Account No.	Amount(₹)	Type of A/c
---------	--------------	-------------	-----------	-------------

1	Punjab & Sind Bank	2081000300013	359358.39	Saving
2	HP State Co-op Bank		nil	FDR
Total			359358.39	

दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष = ₹359358.39

दिनांक 31.3.16 को बैंक के अनुसार शेष =

₹359358.39

अंतिम शेष में अंतर = शून्य

6 निवेश

नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.16 को किये निवेशों की स्थिति यथा परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण के दौरान पाई गई विभिन्न अनियमितताएं निम्न प्रकार से हैं जिनका नियमानुसार यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

- (1) वित्तीय कुप्रबंधन के कारण ₹65.27 लाख की ब्याज के रूप में सम्भावित हानि

जैसा कि परिशिष्ट "ख" द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचनानुसार स्पष्ट विदित है कि दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न बैंकों में रखे गये बचत खातों में ₹56311483.19 की बड़ी रकम शेष जमा थी तथा इन जमाओं पर अंकेक्षण अवधि के दौरान 4% की दर से निम्न विवरण अनुसार ₹6278432 ब्याज के रूप में अर्जित/प्राप्त हुई थी। कुशल वित्तीय प्रबंधन से यही राशि यदि सावधिक जमा में निवेशित होती तो निम्न विवरण अनुसार ₹6527083 की ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय होती परन्तु वित्तीय कुप्रबंधन के कारण लगभग ₹65.27 लाख की ब्याज से आय की हानि उठानी पड़ी जोकि सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के चलते आसानी से रोकी जा सकती थी:-

क्रमांक	बैंक का नाम	4% की दर से अर्जित/ प्राप्त ब्याज की राशि (₹ में)	अवधि	ब्याज की राशी (₹ में)	8% की अपेक्षित दर से सावधिक जमा में निवेश पर ब्याज की जो राशि अर्जित होती (₹ में)	ब्याज से आय की हानि की सम्भावित राशि (₹ में)
1	PNB Saving A/C No 4698	01.04.14 to 31.03.16		3097545	6317765	3220220
2	SBI(ADB) Saving A/C No 11448013124	01.04.14 to 31.03.16		151360	308714	157354
3	HDFC Bank Saving A/C No.50100038063271	01.04.14 to 31.03.16		298114	608035	309921
4	HP State Co-op Bank	01.04.14 to		1680994	3428562	1747568

	Saving A/C No.26210100519	31.03.16			
5	SBI Saving A/C No 11283797486	01.04.14 to 31.03.16	3299	6729	3430
6	UBI Saving A/C No 6926	01.04.14 to 31.03.16	719820	1468148	748328
7	ICICI Bank Saving A/C No 146	01.04.14 to 31.03.16	19681	40141	20460
8	HP State Co-op Bank Saving A/C No.26210100519	01.04.14 to 31.03.16	89362	182263	92901
9	IDBI Bank Saving A/C No 76101228	01.04.14 to 31.03.16	212841	434111	221270
10	SBI Saving A/C No 55125971166	01.04.14 to 31.03.16	5416	11047	5631
	कुल जोड़		6278432	12805515	6527083

(2) सावधिक जमा की परिपक्वता पर देय ब्याज राशी की अपेक्षा प्रदत्त कम ब्याज ₹553781 को स्रोत पर आयकर की कटौती दर्शाना

(क) सावधिक जमा निवेश का उपलब्ध करवाए गये सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर देय ब्याज राशी की अपेक्षा ₹553781 कम ब्याज राशी प्रदान की गई थी तथा जिसे नगर परिषद द्वारा स्रोत पर आयकर की कटौती माना गया किन्तु इस सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंक द्वारा जारी यथोचित प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर कम प्रदान की गई राशि वास्तविकता में स्रोत पर आयकर की ही कटौती थी। अतः इस सम्बन्ध में या तो बैंक द्वारा जारी आयकर कटौती का उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए अन्यथा वर्णित कम प्राप्त राशी की सम्बन्धित बैंक से वसूली सुनिश्चित करते हुए नगर परिषद निधि की भरपाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

बैंक का नाम/ सावधिक जमा रजिस्टर पृष्ठ संख्या	सावधिक खाता/रसीद संख्या	जमा निवेशित राशि (₹)	ब्याज दर (%)	निवेश की अवधि	परिपक्वता राशी/ब्याज राशी (₹)	प्रदत्त परिपक्वता राशी/ब्याज राशी (₹)	अंतर जो स्रोत पर आयकर कटौती दर्शाया गया (₹)
SBI(ADB)/ 15,16,17,	31753989755	4082682	8.50	17.11.12 to 26.05.14=555D	4641381/ 558699	4635250/ 552568	6131
	31932052461	2951329	8.75	09.09.13 to 09.09.14=12M	3218168/ 266839	3205863/ 254534	12305
	81183165812	1468841	9.00	08.05.14 to 08.05.15=12M	1605566/ 136725	1591481/ 122640	14085
	31932052461	3205863	9.00	09.09.14 to 09.09.15=12M	3504275/ 298412	3486924/ 281061	17351
	8118316581-2	4635250	9.00	26.05.14 to	5305119/ 5266016/		39103

				03.12.15=556D	669869	630766	
	31485773068	1348287	8.75	08.05.13 to	1470190/	1468841/	1349
				08.05.14=12M	121903	120554	
State Bank of Patiala/	65143594123	9530618	8.75	04.07.13 to	10392312/8	10349269	43043
16,17	65202464018	5000000	9.15	29.06.14=12M	61694	/818651	
				29.06.14 to	5473439/	5402433/	71006
				29.06.15=12M	473439	402433	
	6520464096	5349269	9.15	29.06.14 to	5855779/	5779813/	75966
				29.06.15=12M	506510	430544	
SBI Main/	31933263017	2968491	8.75	12.09.13 to	3236882/	3224278/	12604
16,17				12.09.14=12M	268391	255787	
	31933263017	3224278	9.00	12.09.14 to	3524404	3493561/	30843
				12.09.15=12M	300126	269283	
H.P.Gramin Bank/16	8902310001732	2395511	9.00	24.01.14 to	2618493/	2611461/	7032
	4			24.01.15=12M	222982	215950	
				(05.02.15)			
Union Bank of India/ 16	1277375	5948892	9.00	24.09.13 to	6502635/	6336862/	165773
				24.09.14=12M	553743	387970	
State Bank of India/10 (GPF)	31671252943	3830481	9.00	29.03.14 to	4384048/	4326858/	57190
				05.10.15=555D	553567	496377	
कुल जोड़							553781

(ख) उपरोक्त वर्णित राशि, जिसे नगर परिषद द्वारा स्रोत पर आयकर की ही कटौती माना जा रहा है, यदि वास्तविकता में स्रोत पर आयकर की ही कटौती है, तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंक द्वारा जारी यथोचित प्रमाण पत्र प्राप्त करके आयकर विभाग से इस राशि को वापिस/रिफ़ंड हेतु मामला उठाया जाए क्योंकि नगर परिषद की आय आयकर की धारा 10(20) के अंतर्गत पूर्णतया कर मुक्त है तथा कृत कार्यवाही की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(3) बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर ₹16659 का ब्याज कम देना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर देय राशि की अपेक्षा ₹16659 का कम ब्याज दिया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंक से मामला उठाकर छानबीन करके वस्तु स्थिति पता की जाए तथा कम दिए गए ब्याज की राशि को वापिस प्राप्त करके नगर परिषद निधि की भरपाई सुनिश्चित करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

बैंक का नाम/ सावधिक जमा रजिस्टर पृष्ठ संख्या	सावधिक खाता/ संख्या	जमा रसीद	निवेश राशी (₹) / तिथि	ब्याज की दर (%)	परिपक्वता तिथि/ राशि (₹)	वास्तविक परिपक्वता/ बैंक जमा तिथि व प्राप्त राशि (₹)	प्राप्त ब्याज राशि (₹)	ब्याज राशी जो प्राप्त होनी चाहिए थी (₹)	अंतर ब्याज का जो कम प्राप्त हुआ (₹)
S.B.I (ADB)/ 17	8118316581-2	4635250/	26.05.14	9.00	03.12.15/ 5307731	03.12.15/ 5305119	669869	672481	2612
S.B.I (ADB)/ 15	31753989755	4082682/	17.11.12	8.50	26.05.14/ 4641952	26.05.14/ 4641381	558699	559270	571
H.P. State	1012095	2000000/		9.00	08.03.14/	02.04.14/	186167	199643	13476

(4) वित्तीय कुप्रबंधन के कारण सावधि जमा निवेश पर ₹0.45 लाख के अतिरिक्त ब्याज की हानि

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा सावधि जमा में निवेशित राशियों का उपलब्ध करवाए गए संबन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में 8.75% की दर से, निम्न विवरण के अनुसार, सावधि जमा में राशियों का निवेश किया गया था जबकि अन्य बैंक जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक व हि.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा इस अवधि में परिषद को सावधि जमा में निवेशित राशियों पर 9.00% की उच्च ब्याज दर प्रदान की जा रही थी। यदि इन राशियों को उच्च ब्याज दर प्रदान करने वाले बैंकों में निवेश किया जाता तो नगर परिषद को ₹44854 की ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी लेकिन इस संदर्भ में विवेक से निवेश न किए जाने के कारण नगर परिषद को ₹44854 की अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा जिस बारे तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित हानि की उचित स्रोत से भरपाई सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

बैंक का नाम/ सावधि जमा खाता सं०	निवेशित राशि	निवेश की अवधि	निवेश तिथि को उपलब्ध उच्च ब्याज दर	उच्च ब्याज दर पर जो परिपक्वता राशि प्राप्त होनी थी	वास्तव में प्राप्त परिपक्वता राशि	कम प्राप्त परिपक्वता राशि ब्याज/
SBI(ADB) 31485773068	1348287	08.05.13 to 08.05.14	9.00%	1473790	1470190	3600
SBI(Main) 31932052461	2951329	09.09.13 to 09.09.14	9.00%	3226048	3218168	7880
SBI(main) 31933263017	2968491	12.09.13 to 12.09.14	9.00%	3244808	3236882	7926
SBP 65143594123	9530618	04.07.13 to 03.07.14	9.00%	10417760	10392312	25448
कुल योग						44854

(5) बिना लेन-देन वाले बैंक बचत खातों को जारी रखने का औचित्य स्पष्ट न करना

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर परिषद द्वारा निम्न वर्णित जो बचत खाते खोल रखे हैं उसमें अंकेक्षण अवधि के दौरान छः माही ब्याज के अतिरिक्त अन्य कोई भी वित्तीय लेन-देन नहीं हुआ है जिससे वर्णित बचत खाते निष्क्रिय से प्रतीत होते हैं तथा इन बचत खातों में दिनांक 31.03.16 को ₹4034246 अंतिम शेष में अनुपयोग पड़े थे। अतः इन बचत खातों को बिना वित्तीय लेन-देन के जारी रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन खातों को बंद करके

इनमें जमा पड़ी अनुपयोग राशी को नगर परिषद के अन्य बचत खाते में हस्तांतरण करवाकर सदुपयोग किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

क्रमांक	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	दिनांक 31.03.2016 को शेष जमा राशि (₹ में)	अभियुक्ति
1	IDBI Bank	76101228	2791209.00	खाता खोलने की तिथि 13.09.12 से वर्तमान अंकेक्षणाधीन अवधि तक में अनुपयोग
2	HP State Co-op Bank	55110103644	1171912.00	खाता खोलने की तिथि 31.03.12 से वर्तमान अंकेक्षणाधीन अवधि तक में अनुपयोग
3	SBI Bank	55125971166	71125.00	तिथि 31.08.10 से वर्तमान अंकेक्षणाधीन अवधि तक में अनुपयोग
कुल जोड़			4034246.00	

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/6 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी ।

7 विविध अग्रिमों के रूप में दी गई ₹88.34 लाख दिनांक 31.03.2016 को वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को परिशिष्ट "च" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को ₹8834026 विविध अग्रिमों के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसकी वसूली/समायोजन हेतु विशेष कदम उठाये जाएँ व की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त परिशिष्ट में वर्णित बहुत सी राशिया ऐसी है जो कि पिछली कई वर्ष पूर्व बतौर स्टाफ अग्रिम के रूप में दी गई थी तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली में दिए गए प्रावधानानुसार एक माह के भीतर ऐसी अग्रिम राशियों का समायोजन किया जाना वांछित था परन्तु नगर परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010, 04/2010 से 03/2012 तथा 04/2012 से 03.2014 के अंकेक्षण पैरा संख्या क्रमशः 14, 9 व 9 में भी आपत्ति दर्ज की गई थी किन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना अपने आप में एक गम्भीर चिंता का विषय है। अतः ऐसे समस्त मामलों के सन्दर्भ में वसूली दण्ड ब्याज सहित नियमानुसार सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 आय

(1) गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख एवं दिनांक 31.03.16 को बकाया राशि की सूचना उपलब्ध न करवाना

अंकेक्षण के पत्र संख्या:228 दिनांक 07.12.16 तथा अध्याचना संख्या:MCP/2014-16/ 1 & 2 दिनांक 16.02.17 & 22.02.17 एवं कई बार मौखिक रूप से नगर परिषद को गृह कर की बकाया राशि की सूचना एवं गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया। अंकेक्षण समाप्ति तक नगर परिषद द्वारा गृह कर की बकाया राशि की सूचना एवं गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में, नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार (परिशिष्ट "छ") वर्ष 2014-15 व 2015-16 में प्राप्त गृह कर राशि क्रमशः ₹1134847 व ₹1663153 की प्रमाणिकता नियमानुसार अंकेक्षण में सत्यापित नहीं की जा सकी। सम्बन्धित अभिलेख का निर्माण न करना/प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010, 04/2010 से 03/2012 तथा 04/2012 से 03.2014 के अंकेक्षण पैरा संख्या क्रमशः 7 (घ), 7.12 व 19(3) में भी आपत्ति दर्ज की गई थी किन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना अपने आप में एक गम्भीर चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त गृह कर की कितनी राशि 31.3.2016 को वसूली हेतु शेष थी की पुष्टि भी अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

(2) दिनांक 31.3.2016 को लीज धारकों से ₹46.10 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को नगर परिषद की जमीन लीज पर दी गई है। लीज धारकों से सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि अवधि 01.04.1987 से 31.3.2016 तक ₹4609796 लीज धारकों, जिनका विवरण परिशिष्ट "ज" दिया गया है, से वसूली हेतु शेष थी। इन लीज धारकों से किए गए अनुबन्ध से संबन्धित फाइलों/अभिलेख को भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे लीज धारकों से लिए जाने वाले लीज कर के रेट/राशि की सत्यता अंकेक्षण में प्रमाणित नहीं की जा सकी। लगभग 30 वर्षों तक लीज राशि की वसूली न करना तथा न ही लीज राशि की वसूली हेतु लीज धारकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही करना नगर परिषद की लचर कार्य प्रणाली दर्शाता है। पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी लगातार इस सम्बन्ध में आपत्तियां उठाई गई है किन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना अपने आप में एक गम्भीर चिंता का विषय है। अतः इतनी लम्बी अवधि तक लीज राशियों की वसूली न करने का औचित्य ठोस तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए और साथ ही इस राशि की वसूली हेतु विशेष प्रयास किए जाने सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(3) दुकानों के देय किराए की ₹13.50 लाख वसूली हेतु शेष

- (क) अंकेक्षण को परिशिष्ट "झ" द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचनानुसार ₹1350385 दिनांक 31.03.16 को दुकानों के देय किराए की वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	कुल मांग (₹ में)	कुल राशि (₹ में)	प्राप्ति (₹ में)	अंतिम शेष (₹ में)	प्राप्त योग्य कुल राशि की तुलना में वर्ष के अंत
--------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	---

	(₹ में)					शेष कुल प्रतिशतता
2014-15	1999616	2845906	4845522	3690047	1155475	23.85%
2015-16	1155475	2875179	4030654	2680269	1350385	33.50%
कुल जोड़			8876176		2505860	28.23% Avg.

उक्त प्रस्तुत विवरण से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है वर्ष 2014-15 में पिछला शेष किराया व वर्तमान मांग की वसूली की दर में तो प्रगति हुई है किन्तु वर्ष 2015-16 में वसूली दर फिर धीमी हो गई। अतः शेष किराया व वर्तमान मांग की वसूली की दर में और प्रगति करने का परामर्श दिया जाता है। अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना के अवलोकन के दौरान पाया गया कि केवल 13 किराएदारों से ही (पच्चीस हजार और इससे ऊपर देय किराया के प्रकरण) ₹797144 दिनांक 31.03.2016 को वसूली हेतु शेष थे जोकि कुल वसूली हेतु शेष राशि का 59.03% बनता है। अतः वर्णित चंद प्रकरणों के अतिरिक्त शेष राशि की वसूली हेतु भी नियमानुसार तुरंत विशेष पग उठाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) किराये पर प्राप्त सेवा शुल्क ₹1560 सम्बन्धित विभाग में दोगुना जमा करने के कारण अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह, जिनके पास नगर परिषद की दुकान नं० 31 किराए पर आवंटित है, से रसीद संख्या: 23/600 दिनांक 25.03.14 के अंतर्गत चैक संख्या 12031 दिनांक 22.03.14 द्वारा ₹41413 किराया प्राप्त हुआ था जिसमें ₹1560 सेवा शुल्क के रूप में सम्मिलित थे। वर्णित चैक बाद में dishonour होने के उपरान्त श्री जसवीर सिंह ने यह राशि नकद रूप में (सेवा शुल्क ₹1560 सहित) रसीद संख्या: 41/647 दिनांक 20.01.15 = ₹29000 व रसीद संख्या 26/651 दिनांक 19.02.15 = ₹12413 द्वारा जमा करवाई थी। इस प्रकार चैक dishonour के कारण सेवा शुल्क वास्तव में परिषद को एक बार ही प्राप्त हुआ था किन्तु नगर परिषद द्वारा सम्बन्धित विभाग को वाउचर संख्या: 37 दिनांक 21.09.15 द्वारा कुल ₹614311 का सेवा शुल्क भुगतान करते समय उक्त वर्णित ₹1560 सेवा शुल्क को दो बार सम्मिलित किया गया था जिसके कारण ₹1560 सेवा शुल्क का सम्बन्धित विभाग को अधिक भुगतान हुआ है। अतः इस अनियमितता का औचित्य ठोस तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरांत अधिक जमा करवाए गए सेवा शुल्क ₹1560 की उचित स्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए परिषद निधि की भरपाई की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(4) अंकेक्षण अवधि 01.04.14 से 31.03.16 तक के दौरान देय बिजली उपकर की राशि वसूली हेतु शेष व प्राप्त बिजली उपकर से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत न करना

हि०प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या : LSG(B)(1)-9/94 दिनांक 08.11.99 एवम हि०प्र० म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर परिषद को भुगतान किया जाना प्रावधित है। इस प्रावधान के अनुसार, नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार (परिशिष्ट "त्र") अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04.14 से 31.03.16 तक के दौरान बिजली उपकर से सम्बन्धित कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी तथा न ही बिजली उपकर से

सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग से सम्पूर्ण अवधि की बिजली उपकर की देय राशि की वसूली सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े सहित प्राप्त करने हेतु तुरन्त आवश्यक पग उठाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(5) अंकेक्षण अवधि 01.04.14 से 31.03.16 तक के दौरान देय मदिरा शुल्क की वसूली हेतु शेष राशि व प्राप्त मदिरा शुल्क से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत न करना

हि०प्र० सरकार, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या : ULB-HC(9)-28/96 दिनांक 01.11.99 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से आबकारी एवम कराधान विभाग द्वारा मदिरा उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर परिषद को भुगतान किया जाना प्रावधित है। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार (परिशिष्ट "ट") वर्ष 2014-15 में नगर परिषद को आबकारी एवं कराधान विभाग से मदिरा शुल्क ₹1061246 प्राप्त हुआ था किन्तु इससे सम्बन्धित विवरण जैसे प्राप्त राशि किस अवधि की थी तथा नगर परिषद परिक्षेत्र में वर्षवार विक्रय की गई मदिरा की बोतलों की संख्या कितनी थी, इत्यादि अभिलेख/सूचना अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में उपरोक्त प्राप्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभाग से शेष देय राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्ति बारे उचित अभिलेख का अनुरक्षण न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा बिजली व शराब उपकर की मांग व प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण भी नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में इन प्राप्तियों पर निगरानी नहीं रखी जा सकती जैसे कि निर्धारित दर से कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी। अपेक्षित अभिलेख के संरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उचित अभिलेख का अनुरक्षण करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षण पैरा 8(1) से 8(6) तक के सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/9 दिनांक 03.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

(7) भवन निर्माण नक्शा पारित हेतु देय ₹24.47 लाख के शुल्क की कम वसूली करना

भवन निर्माण नक्शा पारित करने पर प्राप्त फीस के चयनित प्रकरणों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में ₹2447380 का शुल्क गणना में विभिन्न त्रुटियों के कारण देय राशि से कम वसूल किया गया था जिसका नियमानुसार छानबीन उपरांत या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(क) निम्न प्रकरणों में नियमानुसार देय Change of land use की फीस या तो वसूल ही नहीं की गई थी या HP TCP Rules, 2014 के नियम 16 (2) के अंतर्गत देय राशि से कम वसूल की गई थी :-

भवन निर्माण नक्शा प्रकरण संख्या व दिनांक	भवन मालिक का नाम /रसीद संख्या व दिनांक	प्लॉट क्षेत्रफल (वर्गमी० में)	देय फीस दरप्रति वर्गमी० (₹ में)	राशी (₹ में)	वसूल की गई फीस	कम वसूल की गई फीस (₹ में)	अभियुक्ति
7005 of 02.11.15	Sh.Anil Kumar S/o Sh.Tilak Ram,W.N.11 (48/692of 02.11.15)	2739.10 (Commercial)	315	862817	69514	793303	Fees recovered on covered area of ground floor i.e 220.68 sqm instead of plot area
6839 of 25.04.15	Sh.Jaspal Singh S/o Sh.Arjun Singh,W.N.6 (7/667 of 25.04.15)	243.35 (Commercial)	315	76655	nil	76655	Inherited residential property demolished & in place built up commercial 525.76 sqm, residential 205.03sqm property.
6638 of 12.05.14	Sh.Daljeet Singh S/o Sh.Khajan Singh,W.N.4 (32/ 612 of 12.05.14)	246.98 (Commercial)	210	51866	nil	51866	
6772 of 06.12.14	Sh.Ramesh Chand,Sahi Ram & Surinder Singh S/oSh. Liaq Ram, W.N.3(13/642 of 06.12.14)	171.30 (Total 344.04) (Residential)	16	2741	nil	2741	Fees for additional plot area not charged
6875 of 03.06.15	Sh.Baru Ram S/o Sh.Bhoop Ram,W.N.11 (48/692of	129.60 (Commercial)	158	20477	6091	14386	Fees recovered @Rs.47 instead of applicable

	02.11.15)						rate Rs.158
6759 of 13.11.14	Sh.HazaraSingh S/o Sh.Banta Singh,W.N.2 (7/638 of 13.11.14)	597.67 (Commercial)	210	125511	nil	125511	
7064 of 26.03.16	Sh.Mohd.Rashed S/o Sh.Abdullah, W.N.10(5/715 of 29.03.16)	26.35 (Commercial) 1268.96 (Total 1295.31)	315 16	8300 <u>20303</u> <u>28603</u>	20725 (1295.31 xRs.16)	7878	Fees recovered @Rs.16 instead of applicable rate Rs.315 in respect of commercial area
6699 of 22.08.14	Sh.Pawan Kumar S/o Sh.Pyre Lal, W.N.21(1/626 of 22.08.14)	292.50 (Commercial)	210	61425	nil	61425	
6692 of 13.08.14	Sh.Jasbir Singh S/o Sh.Sandhu Ram, W.N.3 (11/625 of 13.08.14)	285.12 (Residential)	15.75	4491	nil	4491	
7050 of 25.02.16	Sh.Jai Prakash&others S/o Sh.Mohan Lal,W.N.5 (18/709of 02.03.16)	396.30 (Commercial/ Residential)	315	124835	80851 (256.67 xRs.315)	43984	Fees recovered on built up area of ground floor i.e 256.67 sqm instead of plot area 396.30sqm
6663 of 26.06.14	Sh.Avleen Singh S/o Sh.Tejinder Singh,W.N.2 (34/617of 26.06.14)	224.00 (Commercial)	210	47040	nil	47040	
(ख)योग				1406461	177181	1229280	

(ख) निम्न प्रकरण में TCP और MC फीस built up area 847.94 की अपेक्षा 639.59 sqm पर वसूल करने के कारण ₹3854 कम वसूल की गई थी :-

प्रकरण संख्या व दिनांक/भवन	विवरण	देय फीस			वसूल की गई फीस			कम
मालिक का नाम		क्षेत्रफल	दर प्रति	राशी (₹	क्षेत्रफल	दर प्रति	राशी	वसूल की
/रसीद संख्या व दिनांक		(वर्गमी० में)	वर्ग मी० (₹ में)	में)	(वर्ग मी० में)	वर्ग मी० (₹ में)	(₹ में)	गई फीस (₹ में)
6792of06.01.15 Shri Gurudwara Paonta Sahib (38/671of 27.05.15)	TCP Charges Building Residential	847.94	16.00	13567	639.59	16.00	10233	3334
	M.C.fees	847.94	2.50	2119	639.59	2.50	1599	520
(ख)योग				15686			11832	3854

(ग) प्रकरण संख्या 6806 दिनांक 05.02.15 श्री अरुण कुमार सुपुत्र श्री ज्ञान चंद, वार्ड संख्या:5 (रसीद संख्या:19/674 दिनांक 10.06.15) :-

वर्णित प्रकरण में commercial building का निर्माण कार्य नक्शा पारित करवाए बिना आरम्भ करने का दोषी पाए जाने के कारण नक्शा पास करने की compounding फीस वसूल की गई थी किन्तु compounding फीस केवल TCP फीस Building operation की दोगुना ही वसूल की गई थी जबकि HP TCP Rules, 2014 के नियम 35(3) के नीचे क्रमांक : 2 पर वर्णित प्रावधान के अनुसार यह नियम 16(2) के अंतर्गत देय फीस की दोगुना वसूल की जानी अपेक्षित थी I इसके अतिरिक्त Change of land use की फीस भी built up area 256.67 sqm पर ₹157.50 प्रति वर्गमीटर की दर से वसूल की गई थी जबकि HP TCP Rules 1978 के नियम 16(2)(e) के अंतर्गत यह plot area 2182.00sqm पर ₹315 (for compounding purposes twice i.e Rs.630) प्रति वर्गमीटर की दर से वसूल की जानी अपेक्षित थी I अतः इन अनियमितताओं के कारण निम्न विवरण अनुसार ₹1214246 की राशि की फीस देय राशि से कम वसूल की गई थी:-

देय फीस				वसूल की गई फीस			कम वसूल की गई फीस (₹ में)
विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	दर प्रति वर्ग मी० (₹ में)	राशी (₹ में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	दर प्रति वर्ग मी० (₹ में)	राशी (₹ में)	
Dev.Of land	2182.00 (plot area)	2.50x2=5.00 (compound)	10910.00	2182.00 (plot area)	2.50	5455.00	5455.00
Building operation	1087.67 (built up area)	47.00 x2 =94.00 (compound)	102241.00	1087.67 (built up area)	47.00x2 =94.00 (compound)	102241.00	nil
Change of land use	2182.00 (plot area)	315.00x2= 630.00 (compound)	1374660.00	1087.67 (built up area)	157.50	171308.00	1203352.00

M.C.fees	1087.67 (built up area)	5.00x2=10.00 (compound)	10877.00	1087.67 (built up area)	5.00	5438.00	5439.00
(ग) योग			1498688.00			284442.00	1214246.00

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/3 दिनांक 27.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी ।

(8) मोबाइल टॉवर शुल्क की ₹0.63 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को परिशिष्ट संख्या: "ठ" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.03.16 को मोबाइल टॉवर शुल्क की ₹63000 वसूली हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर चिंता का विषय है। इस राशि की वसूली हेतु तुरंत विशेष पग उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(9) मोबाइल टावर कंपनियों से वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की नियमानुसार निश्चित समयावधि उपरांत वृद्धि न करने के कारण ₹7500 की आय की संभावित हानि

हि. प्र. सरकार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, की अधिसूचना संख्या DIT-Dev.(IT)-2005 (Misc.)H(7)-1/2006 दिनांक 22.08.2006 के अंतर्गत जारी मोबाइल टावर स्थापना नीति के नियम 2(b)(ii) के नीचे दिए नोट के अनुसार मोबाइल टावर वार्षिक नवीनीकरण शुल्क में प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद 25% की वृद्धि की जानी अपेक्षित थी किन्तु निम्न प्रकरणों में निश्चित समयानुसार वर्णित दर वृद्धि न करने के कारण नगर परिषद को ₹7500 की आय की संभावित हानि हुई है जिसका या तो नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इसकी वसूली अब संबन्धित उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Name of Company	Year/date of installation	Year	Demand due	Demand raised	Demand short raised
Vodafone Tower No. 1	28.08.08	2013-14	6250x4	5000x4	1250x4=5000
Vodafone Tower No. 2	28.08.08		=25000	=20000	
Vodafone Tower No. 3	04.09.08				
Vodafone Tower No. 4	04.09.08				
Aircel Tower No. 1	17.05.08	2013-14	6250x2	5000x2	1250x2=2500
			=12500	=10000	
Aircel Tower No. 2	17.05.08				
कुल योग					7500

(10) ट्रेड लाइसेंस शुल्क ₹0.20 लाख की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ट्रेड लाइसेंस शुल्क की वसूली सम्बन्धी उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट "ड") के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.03.16 को ₹20000 की वसूली शेष थी। अतः ट्रेड लाइसेंस शुल्क की वसूली करके

अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में यह वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(11) उत्तेजक तथा संकट पूर्ण व्यापार (जोखिमपूर्ण व्यापार) हेतु जारी लाईसैन्स की फीस ₹0.97 लाख दिनांक 31/03/2016 को वसूली हेतु शेष

नगर पालिका अनिवार्य 1994 की धारा 125 के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के भीतर यदि कोई व्यवसायी उत्तेजक तथा संकट पूर्ण व्यापार विनिमय करता है तो नगर परिषद ऐसे व्यापार विनिमय हेतु लाईसैन्स जारी करेगी और इसके एवज में उपायुक्त द्वारा अनुमोदित लाईसैन्स फीस सम्बन्धित व्यवसायी से वसूल करेगी। उपायुक्त सिरमौर के पत्र संख्या एल०एफ०-ए(4)-5/85 दिनांक 01.01.97 द्वारा लाईसैन्स फीस की दरें निर्धारित की गई थी जिसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यवसायी अपने लाईसैन्स का निर्धारित अवधि के भीतर नवीनकरण नहीं करवाता तो उससे ₹5 प्रतिमाह की दर से जुर्माना वसूला जायेगा। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट “ढ”) के अनुसार दिनांक 31.03.16 को इस मद के अंतर्गत ₹97165 वसूली हेतु शेष थी परन्तु नगर परिषद द्वारा इस फीस की मांग व प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख (रजिस्टर आदि) का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में इस मद के अंतर्गत निर्धारित दरों पर कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व दिनांक 31/03/16 को दर्शाई गयी बकाया राशि इत्यादि का अंकेक्षण में सत्यापन सम्भव नहीं हो सका। अतः अपेक्षित अभिलेख के अनुरक्षण (maintain) न करने वाले स्थिति स्पष्ट करने के साथ-साथ ₹97165 की वसूली जुर्माने सहित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए. I

(12) Dog registration शुल्क ₹1500 की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट “ण” पर अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान Dog registration शुल्क की वसूली सम्बन्धी उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.03.16 तक ₹1500 वसूली हेतु शेष थी। अतः Dog registration शुल्क की नियमित रूप से वसूली न किए जाने वाले स्थिति स्पष्ट करते हुए ₹1500 शेष शुल्क की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में वर्णित वसूली नियमित रूप से की जानी भी सुनिश्चित की जाए। I

(13) तहबाजारी शुल्क ₹0.51 लाख की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट “त” पर अंकेक्षण अवधि के दौरान तहबाजारी शुल्क की वसूली सम्बन्धी उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 31.03.16 को ₹50570 वसूली हेतु शेष थी। अतः तहबाजारी शुल्क की नियमित रूप से वसूली न किये जाने वाले स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित शेष ₹50570 की वसूली करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में यह वसूली नियमित रूप से की जानी भी सुनिश्चित की जाए। I

अंकेक्षण पैरा 8(8) से 8(13) तक के सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/9 दिनांक 03.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

9 हि.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम शिमला को दिए गए ₹44.94 लाख के अग्रिम के समायोजन वाउचर अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

रोकड़ बही व व्यय/भुगतान वाउचरों से एकत्रित सूचनाओं के आधार पर अंकक्षणाधीन अवधि में, निम्न विवरण के अनुसार, सीमेंट की आपूर्ति करने हेतु हि.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम शिमला को अग्रिम ₹4493592 का भुगतान किया गया था। अग्रिम का परिषद द्वारा बही खाता नहीं बनाया गया था बल्कि सीधे तौर पर सीमेंट स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया जा रहा था। नियमानुसार निगम द्वारा भेजी गई सीमेंट की गाड़ियों/मात्रा व उनके बिलों के आधार पर समायोजन बिलों को तैयार किया जाना अपेक्षित था जिसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके कि भेजी गई अग्रिम राशि की एवज में कितनी सीमेंट की आपूर्ति की गई, कितनी आपूर्ति करनी बाकी थी, क्या आपूर्ति की गई सीमेंट की सारी मात्रा का भण्डार में लेखांकन भी हुआ था या नहीं इत्यादि किन्तु इसके आभाव में वर्णित तथ्यों का सत्यापन अंकक्षण में नहीं किया जा सका। नगर परिषद द्वारा कभी भी हि.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम शिमला से अपनी अकाउंट स्टेटमेंट मँगवाने का प्रयास भी नहीं किया गया तथा अंकक्षण द्वारा भी सीमेंट स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियों की सत्यापना परिषद द्वारा उपलब्ध करवाए गए निगम के सीमेंट के बिलों के आधार पर ही की गई है। ऐसी परिस्थिति में भण्डार रजिस्टर में सीमेंट की प्राप्त मात्रा की कम प्रविष्टियाँ होने, सीमेंट के दुरुपयोग या Pilferage होने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः परामर्श दिया जाता है कि हि.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम शिमला से अंकक्षणाधीन अवधि/पूर्व की अकाउंट स्टेटमेंट मँगवाना सुनिश्चित करने के साथ-साथ नगर परिषद द्वारा दी गई अग्रिम राशियों से मेल-मिलाप करते हुए तदनुसार समायोजन बिलों को तैयार करके निगम को दिए गए अग्रिमों का समायोजन किया जाए। भविष्य में निगम को दी जाने वाली अग्रिम राशियों का परिषद की बहियों में पहले अग्रिम के तौर पर लेखांकन तथा समायोजन के समय सीमेंट स्टॉक को डेबिट तथा निगम के खाते को क्रेडिट किया जाए और अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए:-

वाउचर संख्या/दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	जितनी सीमेंट की मात्रा का अग्रिम भुगतान किया गया	अग्रिम की राशि (₹)
34/23.04.14	20	720 बैग सीमेंट	165806
29/21.07.14	88	720 बैग सीमेंट	96362
15/01.09.14	117	1800 बैग सीमेंट	462651
35/19.09.14	133	1800 बैग सीमेंट	462651
15/01.10.14	144	1800 बैग सीमेंट	462651
46/28.10.14	161	1800 बैग सीमेंट	462651
14/01.11.14	169	1800 बैग सीमेंट	462651
14/05.12.14	198	1800 बैग सीमेंट	462651
20/07.03.15	289	1000 बैग सीमेंट	257028
58/31.03.15	311	1000 बैग सीमेंट	257028
20/23.05.15	44	1000 बैग सीमेंट	257028
24/25.05.15	46	1000 बैग सीमेंट	257028
20/05.08.15	110	1000 बैग सीमेंट	257028
20/10.02.15	266	720 बैग सीमेंट	170378
कुल योग			4493592

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/7 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

व्यय :-

10 नगरपालिका निधि से पेंशन एवम् उपदान निधि में ₹47.03लाख का अनियमित हस्तांतरण/अधिक भुगतान

- (क) H.P. Municipality Employees (Pension,Gratuity&GPF)Rules,2000 में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का केवल 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान ही पेंशन एवम् उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार ₹524764 का पेंशन निधि में अतिरिक्त हस्तांतरण/भुगतान किया गया था जो कि उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता की औचित्यता स्पष्ट करते हुए या तो अब इसे उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये या फिर अनियमित रूप से हस्तांतरित उक्त वर्णित राशि को वापिस नगरपालिका निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमों की सही अनुपालना भी सुनिश्चित की जाये:-

वाउचर संख्या व दिनांक	अतिरिक्त हस्तांतरण राशि (₹में)	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या
08/01.01.16	171183.00	234
08/01.02.16	171183.00	258
08/01.03.16	182398.00	282
जोड़ (क)	524764.00	

- (ख) निम्न विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12से 2015-16 तक के बजट अनुमानों का 1% नगर परिषद निधि से पेंशन निधि को स्थापना प्रभार के रूप में ₹4178296 की राशि का भुगतान किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension ,Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 के नियम 13(i) नियमानुसार पेंशन निधि का रख-रखाव निदेशालय स्तर पर निदेशक द्वारा किया जाना प्रावधित है जिसकी एवज में बजट अनुमानों की राशी का 1% नगर परिषद निधि से स्थापना प्रभार के रूप में निदेशालय को भुगतान किया जाना अपेक्षित था न कि पेंशन निधि को। चूँकि वर्तमान में पेंशन निधि का रख-रखाव निदेशालय स्तर की अपेक्षा नगर परिषद द्वारा स्वयं अपने स्तर पर किया जा रहा है तथा जब तक यह व्यवस्था जारी रहती है तब तक नगर परिषद को निदेशालय को वर्णित स्थापना प्रभार के भुगतान का कोई भी औचित्य नहीं बनता है । अतः अब उक्त अनियमितता का समाधान ₹4178296 को पेंशन निधि से वापिस प्राप्त कर परिषद निधि में जमा करवाकर किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

वाउचर संख्या व दिनांक	अतिरिक्त हस्तांतरण राशि (₹में)	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	अभियुक्ति
36/25.05.15	3029941.00	50	1% amount of MC budget for

49/17.08.15	1148355.00	121	F.Y.2011-12 to 2014-15 1% amount of MC budget for F.Y.2015-16
-------------	------------	-----	---

जोड़(ख) 4178296.00
कुल जोड़(क)+(ख) 4703060.00

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/6 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी ।

11 अंशदाई पेंशन योजना (CPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का भी ग्रेच्युटी अभिदान का नियोक्ता अंशदान उपदान निधि में जमा करना (वाउचर संख्या: 9 of 3/15 व वाउचर संख्या: 9 of 10/15 क्रमश 50316 व ₹45682)

H.P. Municipality Employees (Pension, Gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम 3(3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान पेंशन एवम् उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या:UD-II(130/10)7/2000 दिनांक 20.12.2003 द्वारा जारी अनुदेशानुसार नगरपालिका द्वारा उक्त वर्णित अभिदान कुल स्वीकृत पदों, चाहे भरी हो या खाली हो, का जमा करवाया जा रहा था जिसमें अंशदाई पेंशन योजना (CPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी भी शामिल थे। चूंकि नगरपालिका द्वारा नगरपालिका निधि से अंशदाई पेंशन योजना (CPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का नियोक्ता अंशदान अंशदाई पेंशन योजना (CPS) निधि में अलग से जमा करवाया जा रहा था तथा इन कर्मचारियों को पेंशन एवम् उपदान भी नियमानुसार देय नहीं है इसलिए नियमों की सही भावना के दृष्टिगत अंशदाई पेंशन योजना (CPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का 5% ग्रेच्युटी का अभिदान उपदान निधि में जमा करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस कारण, निम्न विवरण अनुसार, नगरपालिका निधि से उपदान निधि में ₹22018 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः यह मामला उच्च सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार उचित समाधान करने हेतु लाया जाता है:-

क्रम संख्या	CPS कर्मचारियों का नाम/पदनाम जिनका ग्रेच्युटी अभिदान जमा किया गया	पे बैंड + ग्रेड पे (₹ में)	ग्रेच्युटी अभिदान की जमा की गई राशी (₹ में)		कुल अधिक जमा अभिदान की राशी (₹ में)
			माह मार्च, 2015 (पे बैंड का अधिकतम x 5%)	माह नवम्बर, 2015 (पे बैंड का अधिकतम x 5%)	
1	श्री बारू राम, लिपिक	5910-20200 +1900GP /10300-34800 +3800GP	1740	1010	2750
2	श्री राकेश कुमार, लिपिक	10300-34800 +3800GP	1740	1740	3480
3	श्री रमेश चंद, चालक	5910-20200 +2000GP	1010	1010	2020
4	श्री अमृत सिंह, चालक	5910-20200 +2000GP	1010	1010	2020

5	श्री दलजीत सिंह, सेवादार	4900-10680 +1300GP	534	534	1068
6	श्री राम कुमार, बेलदार	4900-10680 +1300GP	534	534	1068
7	श्री बलवीर सिंह, बेलदार	4900-10680 +1300GP	534	534	1068
8	श्री बंटी लाल, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	1068
9	श्री मदन कुमार, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	1068
10	श्री सुरेश कुमार, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	1068
11	श्री भरत कुमार, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	1068
12	श्री विजय, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	--	534	534
13	श्री पवन, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	--	534	534
14	श्री नरेश कुमार , सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	1068
15	श्री राजू, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	1068
16	श्री संजय कुमार, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	1068
	कुल जोड़		10840	11178	22018

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/6 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

12 खाली पदों का भी ₹1.38 लाख का पेंशन/ग्रेच्युटी अंशदान नगर परिषद निधि से पेंशन व उपदान निधि में जमा करने सम्बन्धी अनियमितता (वाउचर संख्या: 8 of 11/2015=86322 व वाउचर संख्या: 09 of 03/2015=50316)

H.P. Municipality Employees (Pension, Gratuity &GPF) Rules,2000 के नियम 3(3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान पेंशन एवम् उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या:UD-II(130/10)7/2000 दिनांक 20.12.2003 द्वारा जारी अनुदेशानुसार नगरपालिका द्वारा उक्त वर्णित अंशदान कुल स्वीकृत पदों, चाहे भरी हो या खाली हो, का जमा करवाया जा रहा था जिसमें निम्न वर्णित खाली पदों का अंशदान भी शामिल था। चूँकि नगर परिषद द्वारा भविष्य में खाली पदों के विरुद्ध नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी सामान्यतः अंशदाई पेंशन योजना (CPS) के अंतर्गत ही cover होंगे व जिनका अंशदान वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की भांति अंशदाई पेंशन योजना (CPS) निधि में अलग से जमा करवाया जाएगा तथा इन कर्मचारियों को पेंशन एवम्

उपदान का लाभ भी नियमानुसार देय नहीं होगा I इसलिए नियमों की सही भावना के दृष्टिगत खाली पदों का 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान पेंशन एवम् उपदान निधि में जमा करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस कारण, निम्न विवरण अनुसार, व्यय/भुगतान के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों में ही नगर परिषद निधि से पेंशन एवम् उपदान निधि में ₹138310 का अधिक भुगतान किया गया। अतः यह मामला उच्च सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार उचित समाधान करने हेतु लाया जाता है:-

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (₹ में)	अवधि	12%/5% की दर से अधिक जमा की गई पेंशन/ग्रेच्युटी अभिदान की राशी(पे बैंड का अधिकतम x12%/ 5%x पदों की संख्या)			अभिदान की कुल अधिक जमा राशी (₹ में)
					पेंशन अभिदान (₹ में)	ग्रेच्युटी अभिदान (₹ में)	कुल अभिदान (₹ में)	
1	Executive Officer	1	10300-34800 +4800GP	11/15	4176	1740	5916	5916
2	Junior Asstt.	2	10300-34800 +3600GP	03/15	8352	3480	11832	17748
		1		11/15	4176	1740	5916	
3	Clerks	1	10300-34800 +3200GP	3/15	4176	1740	5916	19652
		4	5910-20200 +1900GP	11/15	9696	4040	13736	
4	Comm. Org.	1	10300-34800 +3200GP	03/15	4176	1740	5916	9350
		1	5910-20200 +1900GP	11/15	2424	1010	3434	
5	Statiscal Asstt.	1	10300-34800 +4400GP	03/15	4176	1740	5916	11832
6	Chowkidar	1	4900-10680 +1650GP	03/15	1282	534	1816	3632
		1		11/15	1282	534	1816	
7	Peons	1	4900-10680 +1300GP	03/15	1282	1068	2350	7798
		3		11/15	3846	1602	5448	
8	Junior Engineer	1	10300-34800 +4200GP	11/15	4176	1740	5916	5916
9	W.S.	1	5910-20200 +1900GP	03/15	2424	1010	3434	6868
		1		11/15	2424	1010	3434	
10	Beldar	2	4900-10680 +1300GP	03/15	2564	1068	3632	9080
		3		11/15	3846	1602	5448	
11	Driver	1	5910-20200	03/15	2424	1010	3434	8620

			+2000GP					
		1	10300-34800	11/15	4176	1010	5186	
			+2000GP			(At lower scale)		
12	Sweeper	2	4900-10680	03/15	2564	--	2564	8012
		3	+1300GP	11/15	3846	1602	5448	
13	Pipe	1	5910-20200	03/15	2424	1010	3434	6868
	Fitter	1	+1900GP	11/15	2424	1010	3434	
14	Sr. Clerk	1	10300-34800	03/15	4176	1740	5916	11102
		1	+3200GP	11/15	4176	1010	5186	
						(At lower scale)		
15	Sr. Asstt.	1	10300-34800	03/15	4176	1740	5916	5916
			+4400GP					
कुल जोड़								138310

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/6 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

13 सीमेंट का सरकारी उपक्रम के माध्यम से क्रय करने की अपेक्षा स्थानीय खुले बाजार से उच्च दर पर क्रय करने पर लगभग ₹14.23 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि

सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के अतिरिक्त उपलब्ध करवाए गये सम्बन्धित अभिलेख, जैसे विक्रेता फर्मों के बिल/चालान इत्यादि जिनका विवरण परिशिष्ट “थ” पर उपलब्ध है, के अवलोकन से विदित हुआ कि अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा लगभग 42% सीमेंट की खरीद स्थानीय खुले बाजार से उच्च दर पर की गई थी जिसके कारण, निम्न विवरण के अनुसार, परिषद को लगभग ₹1423268 की सम्भावित वित्तीय हानि हुई प्रतीत होती है जिसे दूरदर्शी एवं सुदृढ़ स्टोर-स्टोक व वित्तीय प्रबन्धन के चलते बचाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त खुले बाजार से क्रय हेतु नियमानुसार अपनाई जाने वाली विहित प्रक्रिया व सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः यह प्रकरण सक्षम उच्चाधिकारियों के ध्यान में विस्तृत छानबीन करवाकर नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में हि०प्र० नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से ही सीमेंट क्रय करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

अवधि	सीमेंट क्रय की कुल मात्रा (बैग में)	खुले बाजार से सीमेंट क्रय की कुल मात्रा (बैग में)	खुले बाजार से सीमेंट क्रय की प्रतिशतता	खुले बाजार से सीमेंट क्रय की दर (₹ में)	आपूर्ति निगम के माध्यम से सीमेंट क्रय दर (₹ में)	क्रय दर में अंतर (₹ में) (5-6)	सम्भावित हानि की राशी (₹ में) (3x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.14 to 31.03.16	30920	12960	41.91%	281.51	171.69	109.82	1423268

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/7 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

14 सेवा निवृत्त कर्मचारियों को ₹1.35 लाख का अर्जित अवकाश नगदीकरण के रूप में अधिक भुगतान

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश नगदीकरण की गणना गलत मूल वेतन/अर्जित अवकाश शेष के आधार पर करने के कारण, निम्न विवरण के अनुसार, ₹135042 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसका या तो नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए या इसकी वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

कर्मचारी का नाम व सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि	अर्जित अवकाश नगदीकरण के कुल दिन	अर्जित अवकाश नगदीकरण की गणना हेतु लिया गया वेतन/अर्जित अवकाश शेष/भुगतान की गई राशी (₹ में)	वास्तविकता में अर्जित अवकाश नगदीकरण की गणना हेतु लिया जाने वाला वेतन/अर्जित अवकाश शेष/देय राशी (₹ में)	अधिक भुगतान की राशी (₹ में)	भुगतान विवरण का
श्री बाबू राम,सेवादार /28.02.15	300दिन	BP 14710 GP 1650 DA113%) 18487 Total <u>34847</u> <u>34847x300</u> 30 =348470	BP 13060 GP 1650 DA113%) 16622 Total= <u>31332</u> <u>31332x300</u> 30 =313320	35150	Vr.no.26 dt. 09.11.15 (CBP-188) Basic pay taken wrongly Rs.14710 instead of actual Rs.13060
श्री पाला राम, सफाई कर्मचारी /31.10.14	300 दिन	BP 14280 GP 1650 DA107%) 17045 Total <u>32975</u> <u>32975x300</u> 30 =329750	BP 12610 GP 1650 DA107%) 15258 Total= <u>29518</u> <u>29518x300</u> 30 =295180	34570	Vr.no.26 dt. 09.11.15 (CBP-188) Basic pay taken wrongly Rs.14280 instead of actual Rs.12610
श्री सुरेन्द्र पाल , सफाई कर्मचारी /30.09.15	281 दिन	BP 13580 GP 1650 DA(113%) 17210 Total <u>32440</u> <u>32440x300</u> 30 =324400	BP 11950 GP 1650 DA(119%) 16184 Total= <u>29784</u> <u>29784x281</u> 30 =278977	45423	Vr.no.24 dt. 11.03.16 (CBP-291) Basic pay taken wrongly Rs.13580 instead of actual Rs.11950
श्री रमेश कुमार ,बेलदार /21.09.14	160दिन	BP 10530 GP 1650 DA(107%) 13033 Total <u>25213</u> <u>25213x162</u> 30 =136150	BP 8880 GP 1650 DA(107%) 11267 Total <u>21797</u> <u>21797x160</u> 30 =116251	19899	Vr.no.23 dt. 11.03.16 (CBP-291)EL Cr. For the period 01.07.14 to 21.09.14 given wrongly 7days instead of 5days

due besides
Basic pay taken
Rs.10530
instead of actual
Rs.8880

कुल योग 135042

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/5 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी ।

15 ₹83 की डाक टिकटों के क्रय/उपयोग में पाई गई अनियमितता बारे

अंकेक्षणाधीन अवधि के डाक टिकटों के क्रय व उपयोग से संबन्धित रजिस्टर का आरम्भिक शेष शून्य दर्शाया गया था क्योंकि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.4.12 से 31.03.14 के पैरा संख्या 33(ii) के अनुसार दिनांक 10.10.2011 से डाक खर्च से सम्बन्धित रजिस्टर का रख-रखाव ही नहीं किया गया था। वर्तमान अंकेक्षणाधीन अवधि में, निम्न विवरण के अनुसार, माह 08/2015 में ₹83 का अधिक/अनियमित डाक टिकटों का उपयोग दर्शाया गया है जिस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक दर्शाए गए डाक टिकटों के समतुल्य राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए परिषद निधि कि भरपाई की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Opening Balance (₹)	Stamps purchase d during month (₹)	Grand Total (₹)	Stamps consumed during month (₹)	Balance, which should be at the close of month (₹)	Balance stamps shown at the end of month (₹)	Balance less shown at the end of month (₹)
257	1000	1257	560	697	614	83

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/8 दिनांक 03.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

16 विभिन्न त्योहारों/दिवसों के शुभकामना/बधाई संदेशों के विज्ञापनों पर ₹0.15 लाख का अपव्यय

चयनित माह के व्यय/भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा, निम्न विवरण अनुसार, चयनित मासों में ही विभिन्न त्योहारों /दिवसों के उपलक्ष्य पर परिषद के सदस्यों के रंगदार फोटो सहित शुभकामना/बधाई संदेशों के विज्ञापन छपवाने पर ₹15000 का व्यय किया गया जोकि अपव्यय प्रतीत होता है क्योंकि इसका परिषद की नियमों के अंतर्गत

निर्धारित गतिविधियों व उद्देश्यों से कोई सम्बन्ध नहीं था तथा यह खर्च लोक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत सा प्रतीत होने के कारण परिषद निधि पर अनुचित प्रभार है। इसके अतिरिक्त हि०प्र० सरकार के निर्देशानुसार विज्ञापन हि०प्र० लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाए जाने अपेक्षित है परंतु वर्णित प्रकरणों में इन अनुदेशों की अवहेलना करके सीधे ही अखबारों में उच्च दरों पर छपवाए गए थे:-

क्रमांक	वाउचर संख्या व दिनांक	विज्ञापन की एजेंसी, बिल संख्या व दिनांक	विज्ञापन की राशी (₹ में)	विज्ञापन का उद्देश्य
1	31/31.03.15	Dainik Bhaskar, Group of Publication, Shimla-2 Bill No. 51078 Dt. 05.03.15	5000	प्रदेशवासियों को होला मोहल्ला की शुभकामनायें
2	60/31.03.15	Sri Sai Media Pvt. Ltd., Bill No. DP1918 Dt. 11.03.15	5000	-यथोपरि-
3	61/31.03.15	Divya Himachal Parkashan Pvt .Ltd .Bill No.224100/06.03.15	5000	-यथोपरि-
कुल जोड़			15000	

उक्त अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए व्यय का सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की उचित स्रोत से भरपाई करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/8 दिनांक 03.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

17 निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से ₹9.45 लाख के दंड शुल्क (penalty) की वसूली न करना

चयनित माह के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर न तो उनसे कार्य आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार दंड शुल्क (penalty) की वसूली ही की गई थी और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु नियमानुसार समय अवधि की बढौतरी ही प्रदान की गई थी। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा न केवल निम्नानुसार ₹945276 के देय दंड शुल्क की वसूली करके परिषद के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अपितु अंकेक्षण अवधि में इस अनियमितता से सम्बन्धित समस्त अन्य ऐसे प्रकरणों में भी अपेक्षित कार्यवाही/वसूली करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निश्चित की गई अवधि	निर्माण कार्य आरंभ/पूर्ण करने की तिथि	निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु लिया गया समय	निर्माण कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्या:4 के अनुसार विलम्ब दंड शुल्क की दर (₹ में)	विलम्ब दंड शुल्क की वसूली योग्य राशी (₹ में)
--	---------------------------------------	--	--	--

(1) ठेकेदार का नाम: Sh. Manoj Bhardwaj कार्य का नाम : Provision of Tourist Reception Centre/

Tourist Interpretation Centre & site improvement of open spaces near Gurudwara (SH: Providing of parking I/C development/upgradation of road around the ground RD 1/318 to 1/328) आबंटन पत्र संख्या: MCP/Works/2013-14 /806 dated 30.07.13=Rs.792790 i.e 0.73% above HPSR2009. चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹685920 (Gross) वाउचर संख्या: 42 दिनांक 17.03.15=₹575761

माप पुस्तिका संख्या: 133 पृष्ठ-89 से 93 तक Abstract & R/E)

Three month	<u>30.09.14</u>	4M26D	Max. 10% of awarded	79279
	25.02.15		amount i.e. ₹79279	(Max.)

(2) ठेकेदार का नाम: Sh. Randhir Singh कार्य का नाम : Provision of Tourist Reception Centre/ Tourist Interpretation Centre & site improvement of open spaces near Gurudwara (SH: Providing of parking I/C development/upgradation of road around the ground RD 1/308 to 1/318) आबंटन पत्र संख्या: MCP/Works/2013-14 /807 dated 30.07.13=₹787539 i.e 0.57% above HPSR2009. चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹728191 (Gross) वाउचर संख्या: 43 दिनांक 17.03.15=₹611246

माप पुस्तिका संख्या: 133 Abstract & R/E)

Three month	<u>30.09.14</u>	4M26D	Max. 10% of awarded	78754
	25.02.15		amount i.e. Rs.78754	(Max.)

(3) ठेकेदार का नाम: Sh. Dinesh Gupta कार्य का नाम : Provision of Tourist Reception Centre/ Tourist Interpretation Centre & site improvement of open spaces near Gurudwara (SH: Providing of parking I/C development/upgradation of road around the ground RD 1/288 to 1/298) आबंटन पत्र संख्या: MCP/Works/2013-14 /809 dated 30.07.13=Rs.780710 i.e 0.73% above HPSR2009. चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹652243 (Gross) वाउचर संख्या: 33 दिनांक 17.03.15=₹547494

माप पुस्तिका संख्या: 134 Abstract & R/E)

Three month	<u>30.09.14</u>	4M26D	Max. 10% of awarded	78071
	25.02.15		amount i.e. Rs.78071	(Max.)

(4) ठेकेदार का नाम: Sh. Dinesh Gupta कार्य का नाम : Provision of Tourist Reception Centre/ Tourist Interpretation Centre & site improvement of open spaces near Gurudwara (SH: Providing of parking I/C development/upgradation of road around the ground RD 1/278 to 1/288) आबंटन पत्र संख्या: MCP/Works/2013-14 /811 dated 30.07.13=Rs.797219 i.e 3.26% above HPSR2009. चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹654406 (Gross) वाउचर संख्या: 32 दिनांक 16.03.15=₹549309 माप पुस्तिका संख्या: 134 Abstract & R/E)

Three month	<u>30.09.14</u>	4M26D	Max. 10% of awarded	79722
	25.02.15		amount i.e. Rs.79722	(Max.)

(5) ठेकेदार का नाम: Sh. Manoj Chawla कार्य का नाम : Provision of Tourist Reception Centre/ Tourist Interpretation Centre & site improvement of open spaces near Gurudwara (SH: Providing of parking I/C development/upgradation of road around the ground RD 1/268 to 1/278) आबंटन पत्र संख्या: MCP/Works/2013-14 /810 dated 30.07.13=₹772995 i.e AT PAR HPSR2009. चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹719070 (Gross) वाउचर संख्या: 45 दिनांक 17.03.15=₹603588

माप पुस्तिका संख्या: 134 Abstract & R/E)

Three month	<u>30.09.14</u>	4M26D	Max. 10% of awarded	77300
-------------	-----------------	-------	---------------------	--------------

25.02.15

amount i.e. ₹77300

(Max.)

(6) ठेकेदार का नाम: Sh. Shamshad Ali कार्य का नाम : Provision of Tourist Reception Centre/ Tourist Interpretation Centre & site improvement of open spaces near Gurudwara (SH: Providing of parking I/C development/upgradation of road around the ground RD 1/350 to 1/353) आबंटन पत्र संख्या: MCP/Works/2013-14 /804 dated 30.07.13=₹130282 i.e 0.99% above HPSR2009. चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹321879 (Gross) वाउचर संख्या: 44 दिनांक 17.03.15=₹270185 माप पुस्तिका संख्या: 134 Abstract&R/E)

Three month	<u>30.09.14</u>	4M26D	Max. 10% of awarded	13028
	25.02.15		amount i.e. Rs.13028	(Max.)

(7) ठेकेदार का नाम: Sh. Shamshad Ali कार्य का नाम : Provision of Tourist Reception Centre/ Tourist Interpretation Centre & site improvement of open spaces near Gurudwara (SH: Providing of parking I/C development/upgradation of road around the ground RD 1/328 to 1/338) आबंटन पत्र संख्या: MCP/Works/2013-14 /805 dated 30.07.13=₹795571 i.e 0.57% above HPSR2009. चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹674408 (Gross) वाउचर संख्या: 44 दिनांक 17.03.15=₹566099 माप पुस्तिका संख्या: 134 Abstract&R/E)

Three month	<u>30.09.14</u>	4M26D	Max. 10% of awarded	79557
	25.02.15		amount i.e. Rs.79557	(Max.)

(8) ठेकेदार का नाम: Sh. Sunder Negi कार्य का नाम : Provision of Tourist Reception Centre/ Tourist Interpretation Centre & site improvement of open spaces near Gurudwara (SH: Providing of parking I/C development/upgradation of road around the ground RD 1/338 to 1/350) आबंटन पत्र संख्या: MCP/Works/2013-14 /804 dated 30.07.13=₹779321 i.e 0.97% above HPSR2009. चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹785378 (Gross) वाउचर संख्या: 46 दिनांक 17.03.15=₹659248

माप पुस्तिका संख्या: 134 पृष्ठ- Abstract&R/E)

Three month	<u>30.09.14</u>	4M26D	Max. 10% of awarded	77932
	25.02.15		amount i.e. Rs.77932	(Max.)

(9) ठेकेदार का नाम: Sh. Jagjit Singh कार्य का नाम : Provision of Tourist Reception Centre/ Tourist Interpretation Centre & site improvement of open spaces near Gurudwara (SH: Providing of parking I/C development/upgradation of road around the ground RD 1/298 to 1/308) आबंटन पत्र संख्या: MCP/Works/2013-14 /nil dated 30.07.13=₹783986 i.e 0.64% above HPSR2009. चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹651258 (Gross) वाउचर संख्या: 41 दिनांक 17.03.15=₹580241

माप पुस्तिका संख्या: 134 Abstract&R/E)

Three month	<u>30.09.14</u>	4M26D	Max. 10% of awarded	78399
	25.02.15		amount i.e. Rs.78399	(Max.)

(10) ठेकेदार का नाम: Sh. Sajid Ali, कार्य का नाम: C/o drain by laying RCC pipe near the house of Sh. Ram & near the shop of Sh. Tony W.N.9

आबंटन पत्र संख्या: MCP/Works/2014-15/832 दिनांक 27.09.14=1306792 i.e 79.36% above HPSR,2009 चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹1412174 (Gross)

वाउचर का विवरण: संख्या 18 दिनांक 05.03.15=₹854361 (nett) (MB no.134 पृष्ठ-30 to 39)

Three	<u>30.09.14 but deemed from 15th day of</u>	4M18D	Rs.1000 per day	45000
-------	--	-------	-----------------	--------------

month	<u>award letter as per condition no.8 i.e</u> <u>12.10.14</u> / 26.02.15	subject to Max. Rs.10.00 lakh	(45days)
-------	--	----------------------------------	-----------------

(11) ठेकेदार का नाम: Sh.Mehraj Ali, कार्य का नाम: Re-C/o street near the house of Sh. Gautam in W.No.10 आबंटन पत्र संख्या:MCP/Works/2013-14/787 दिनांक 18.09.14 = ₹832342 i.e 16.57% above HPSR,2009 चलत बिल संख्या : 2nd & Final =₹930751 (Gross) वाउचर का विवरण: संख्या 48 दिनांक 27.11.15=₹128915(nett)

(MB no.131पृष्ठ-80to85

Three	<u>30.09.14</u>	1Y17D	Rs.500 per day subject	83234
month	not mentioned but date of		to Max. 10% of	(Max.)
	measurement 16.10.15		awarded Sum	

(12) ठेकेदार का नाम: Sh.Ranjit Singh, कार्य का नाम: Mettalling & tarring of road in W.No. 11 from the house of shri Ramesh towards college road culvert

आबंटन पत्र संख्या:MCP/Works/2015-16/274 दिनांक 10.06.15=568480 i.e 38.53% above HPSR,2009(Rural Roads) चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹578354 (Gross)

वाउचर का विवरण: संख्या 45 दिनांक 27.11.15=₹943889(nett)(MB no.128)

Three month	<u>17.06.15</u>	4M	Rs.1000 per day subject to Max.	30000
	16.10.15		Rs.7.50 lakh	(30days)

(13) ठेकेदार का नाम: Sh.Mehraj Ali, कार्य का नाम: C/o drain near tha house of Sh. Rajesh singla W.No.2 Paonta Sahib

आबंटन पत्र संख्या:MCP/Works/2014-15/964 दिनांक 29.10.14=1304476 i.e 82.69% above HPSR,2009 चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹1652628 (Gross)

वाउचर संख्या: 43 दिनांक14.08.15=₹972759(nett)(MB no.137)

Three	<u>07.01.15 but deemed from 15th day of</u>	5M18D	₹1000 per day	79000
month	<u>award letter as per condition no.8 i.e</u>		subject to Max.	(79days)
	<u>13.11.14</u> /		₹7.50 lakh	
	30.04.15			

(14) ठेकेदार का नाम: Sh. Jagjit Singh, कार्य का नाम: Mettalling of road in W.No.6 Surya colony towards the house of shri Rakesh Kumar आबंटन पत्र संख्या: MCP/ Works/2015-16/277 दिनांक 10.06.15=482076 i.e 34.77% above HPSR,2009(Rural Roads) चलत बिल संख्या : 1st & Final = ₹502671 (Gross) वाउचर संख्या: 41 दिनांक 26.11.15=₹255442(nett)(MB no.131)

Three	<u>10.06.15</u>	4M6D	Rs.1000 per day	36000
month	not mentioned but date of		subject to Max.	(36days)
	measurement 16.10.15		Rs.7.50 lakh	

(15) ठेकेदार का नाम: Sh. Ranjit Singh, कार्य का नाम: Mettalling & tarring of road in W.No.11 from Rampurghat road towards the house of shri Amarjit to s/shri Chanan singh,Malkiat singh etc. आबंटन पत्र संख्या: MCP/ Works/2015-16/275 दिनांक 10.06.15=899484 i.e 38.51% above HPSR,2009(Rural Roads)

चलत बिल संख्या : 1st & Final = ₹1042018 (Gross) **वाउचर संख्या:** 45 दिनांक 27.11.15 = ₹943889(net) (MB no.126)

Three	<u>17.06.15</u>	4M	Rs.1000 per day	30000
month	not mentioned but date of measurement 16.10.15		subject to Max.	(30days)
			Rs.7.50 lakh	

कुल जोड़

945276

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी ।

18 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य में ₹9.77 लाख का ठेकेदारों को अनाधिकृत भुगतान

चयनित माह के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा आबंटित राशी से अधिक राशी में पूर्ण किए गए थे तथा इस प्रकार इन निर्माण कार्यों में जो overall deviation थी उसका भुगतान ठेकेदारों को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ही किया गया था जोकि अनाधिकृत होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार वर्णित राशी का भुगतान ठेकेदार को सक्षम प्राधिकारी से Deviation Statement अनुमोदित करवाए जाने के उपरांत ही किया जाना अपेक्षित था जोकि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए अब या तो इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस अनाधिकृत भुगतान की सम्बन्धित उचित स्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए: -

आबंटन पत्र संख्या व दिनांक	निर्माण कार्य आबंटन राशी (₹ में)	निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशी (₹ में)	कुल विचलन (overall deviation) राशी (₹ में)	overall deviation (%में)
----------------------------	--	--	---	--------------------------------

(1). ठेकेदार का नाम: Sh.Mehraj Ali, कार्य का नाम: C/o drain near the house of Sh. Rajesh singla W.No.2 Paonta Sahib **चलत बिल संख्या :** 1st & Final = ₹1652628 (Gross)

वाउचर संख्या: 43 दिनांक 14.08.15 = ₹972759(net)(MB no.137)

MCP/Works/2014-15/964 दिनांक 29.10.14	1304476	1652628	348152	26.69
---------------------------------------	---------	---------	--------	-------

(2). ठेकेदार का नाम: Sh.Sajid Ali, कार्य का नाम: Re C/o drain by laying RCC hume pipe 600mm dia at Yamuna Vihar Phase-II W.N.5 Paonta Sahib **चलत बिल संख्या :** 1st & Final = ₹1044139 (Gross) **वाउचर संख्या:** 15 दिनांक 04.11.15 = ₹796119(net)(MB no.132)

MCP/Works/2015-16/903 दिनांक 22.09.15	840478	1044139	203661	24.23
---------------------------------------	--------	---------	--------	-------

(3) ठेकेदार का नाम: Sh. Tapinder Singh, कार्य का नाम: Mettalling & tarring of road in W.No. 11 near the house of shri Tej Pal Singh (Job No.49) **चलत बिल संख्या :** 1st & Final = ₹485842(Gross) **वाउचर संख्या:** 43 दिनांक 26.11.15 = ₹919077(net)(MB no.138 पृष्ठ-67 to 72)

MCP/Works/2015-16/302 दिनांक 20.06.15	427272	485842	58570	13.71
---------------------------------------	--------	--------	-------	-------

(4) ठेकेदार का नाम: Sh. Jagjit Singh, कार्य का नाम: Mettalling of road in W.No.6 Surya colony towards

the house of shri Rakesh Kumar चलत बिल संख्या : 1st & Final = ₹502671 (Gross) वाउचर संख्या: 41
दिनांक 26.11.15=₹255442(nett)(MB no.131)

MCP/Works/2015-16/277 दिनांक 10.06.15 482077 502671 20594 4.27

(5) ठेकेदार का नाम: Sh.Mehraj Ali, कार्य का नाम: Re-C/o street near the house of Sh. Gautam in W.No.10 चलत बिल संख्या : 2nd & Final =₹930751 (Gross) वाउचर का विवरण: संख्या 48 दिनांक 27.11.15=₹ 128915(nett) MB no.131

MCP/Works/2013-14/787 दिनांक 18.09.14 832342 930751 98409 11.82

(6) ठेकेदार का नाम: Sh.Sajid Ali, कार्य का नाम: C/o drain by laying RCC pipe near the house of Sh. Ram & near the shop of Sh.Tony W.N.9 चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹1412174(Gross) वाउचर संख्या:18 दिनांक 05.03.15=₹854361(nett)(MB no.134)

MCP/Works/2014-15/832 दिनांक 27.09.14 1306792 1412174 105382 8.06

(7) ठेकेदार का नाम: Sh. Ranjit Singh, कार्य का नाम: Mettalling & tarring of road in W.No.11 from Rampurghat road towards the house of shri Amarjit to s/shri Chanan singh,Malkiat singh etc. चलत बिल संख्या : 1st & Final = ₹1042018 (Gross) वाउचर संख्या: 45 दिनांक 27.11.15=₹943889(nett)(MB no.126)

MCP/Works/2015-16/275 दिनांक 10.06.15 899484 1042018 142534 15.85

कुल जोड़

977302

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी ।

19 बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व औचित्य स्पष्ट किये ठेकेदारों को निर्माण कार्य आंकलन की तकनीकी स्वीकृति की राशी से अधिक पर आबंटित करना

चयनित माह के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व औचित्य स्पष्ट किये ठेकेदारों को निर्माण कार्य आंकलन की तकनीकी स्वीकृति की राशि से अधिक पर आबंटित किए गए थे जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार ऐसी स्थिति में पुनः निविदाएँ आमंत्रित करके निर्माण कार्य का आबंटन तकनीकी रूप से स्वीकृत आंकलन राशि तक ही सीमित रखा जाना अपेक्षित था तथा ऐसा न करने के कारण संशय है कि परिषद निधि की cost पर ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए अब या तो इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इन प्रकरणों में नियमानुसार यथोचित कार्यवाही अम्ल में लाते हुए परिषद हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

आबंटन पत्र संख्या व दिनांक

निर्माण कार्य	निर्माण कार्य के	आबंटन	व	विचलन राशी
आबंटन राशी (₹ में)	तकनीकी रूप से स्वीकृत आंकलन की राशी (₹ में)	तकनीकी रूप से स्वीकृत आंकलन की राशी (₹ में)		(%में)

(1) ठेकेदार का नाम: Sh. Narayan Singh, कार्य का नाम: P/L RCC pipe in W.No.6 near Heerpur road towards NH 72 bye pass Phase-II चलत बिल संख्या : 1st R/bill = ₹777699 (Gross) वाउचर संख्या: 19

दिनांक 6.11.15=₹607500(nett)(MB no.129)

MCP/Works/2015-16/528 दिनांक 1369380 945700 423680 44.80
29.07.15

(2) ठेकेदार का नाम: Sh.Sajid Ali, कार्य का नाम: Re C/o drain by laying RCC hume pipe 600mm dia at Yamuna Vihar Phase-II W.N.5 Paonta Sahib चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹1044139 (Gross) वाउचर संख्या: 15 दिनांक 04.11.15=₹796119(nett)(MB no.132)

MCP/Works/2015-16/903 दिनांक 840478 781666 58812 7.52
22.09.15

(3) ठेकेदार का नाम: Sh. Tapinder Singh, कार्य का नाम: Mettalling & tarring of road in W.No. 11 near the house of shri Tej Pal Singh (Job No.49) चलत बिल संख्या : 1st & Final = ₹485842 (Gross) वाउचर संख्या: 43 दिनांक 26.11.15=₹919077(nett)(MB no.138)

MCP/Works/2015-16/302 दिनांक 427272 409323 17949 4.39
20.06.15

(4) ठेकेदार का नाम: Sh. Ranjit Singh, कार्य का नाम: Mettalling & tarring of road in W.No.11 from the house of shri Ramesh towards college road culvert चलत बिल संख्या : 1st & Final = ₹578354 (Gross) वाउचर संख्या: 45 दिनांक 27.11.15=₹943889(nett)(MB no.128)

MCP/Works/2015-16/274 दिनांक 568480 432107 136373 31.56
10.06.15

(5) ठेकेदार का नाम: Sh.Mehraj Ali, कार्य का नाम: C/o Drain near the house of Sh. Rajesh Singla in W.No.2 चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹1652628 (Gross) वाउचर संख्या: 43 दिनांक 14.08.15=₹972759(nett) MB no.137

MCP/Works/2014-15/964 दिनांक 1304476 999000 305476 30.58
29.10.14

(6) ठेकेदार का नाम: Sh.Sajid Ali, कार्य का नाम: C/o drain by laying RCC pipe near the house of Sh. Ram & near the shop of Sh.Tony W.N.9 चलत बिल संख्या : 1st & Final =₹1412174 (Gross) वाउचर संख्या: 18 दिनांक 05.03.15=₹854361(nett)(MB no.134)

MCP/Works/2014-15/832 दिनांक 1306792 999000 307792 30.81
27.09.14

(7) ठेकेदार का नाम: Sh. Surinder Singh, कार्य का नाम: P/L RCC pipe in W.No.6 near Heerpur road towards NH 72 bye pass Phase-I चलत बिल संख्या : 1st R/bill = ₹882205 (Gross) वाउचर संख्या: 20 दिनांक 6.11.15=₹701263(nett)(MB no.131)

MCP/Works/2014-15/285 दिनांक 1440704 945700 495004 52.34
10.06.15

(8) ठेकेदार का नाम: Sh.Anil Kumar, कार्य का नाम: P/L RCC pipe near Sabji Mandi towards the Shop of Sh. Arvind Gupta Paonta Sahib W.No.5 चलत बिल संख्या : 2nd R/bill = ₹1592629 (Gross) वाउचर का विवरण: संख्या 42 दिनांक 26.11.15=₹677502(nett)(MB no.127)

MCP/Works/2015-16/525 दिनांक 1528060 945674 582386 61.58
29.07.15

(9) ठेकेदार का नाम: Sh. Tapinder Singh, कार्य का नाम: Mettalling & tarring of road in W.No. 4 near

NH 72 to the house of shri Anil Bhatnagar (Job No.8) चलत बिल संख्या : 1st & Final = ₹554533 (Gross) वाउचर संख्या: 43 दिनांक 26.11.15=₹919077(net)(MB no.138)

MCP/Works/2015-16/303 दिनांक 884364 840190 44174 5.26
20.06.15

(10) ठेकेदार का नाम: Sh. Tapinder Singh, कार्य का नाम: Mettalling & tarring of road in W.No. 9 near NH 72 towards Kirpalshilla Gurudwara(Job No.36) चलत बिल संख्या : 1st & Final = ₹836947 (Gross) वाउचर संख्या: 43 दिनांक 26.11.15=₹919077(net)(MB no.138)

MCP/Works/2015-16/301 दिनांक 1042608 880500 162108 18.41
20.06.15

(11) ठेकेदार का नाम: Sh. Ranjit Singh, कार्य का नाम: Mettalling & tarring of road in W.No.11 from Rampurghat road towards the house of shri Amarjit to s/shri Chanan singh,Malkiat singh etc. चलत बिल संख्या : 1st & Final = ₹1042018(Gross) वाउचर संख्या: 45 दिनांक 27.11.15=₹943889(net)(MB no.126)

MCP/Works/2015-16/275 दिनांक 899484 844198 55286 6.55
10.06.15

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी ।

20 सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक, व्यय व तकनीकी स्वीकृति को नज़रअंदाज़ करने हेतु निर्माण कार्यों के आंकलन को जान-बूझकर दस लाख से कम दर्शाने सम्बन्धी अनियमितता

Himachal Pradesh Municipal Works Rules,2010 के नियम 3(1) के प्रावधानानुसार नगरपालिका को केवल पांच लाख तक के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है तथा नियम 4(2) के प्रावधानानुसार कनिष्ठ अभियंता को केवल तीन लाख व सहायक अभियंता को दस लाख तक के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है किन्तु चयनित माह के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का लेखा अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक, व्यय व तकनीकी स्वीकृति को नज़रअंदाज़ करने हेतु निर्माण कार्यों के आंकलन को जानबूझकर दस लाख से कम दर्शाकर नगर परिषद अभियंता द्वारा अपने स्तर पर ही स्वीकृत किया गया था जोकि गंभीर अनियमितता है। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए अब इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

क्रमांक	निर्माण कार्य का नाम	मूल रूप में आंकलन की राशी	संशोधित व तकनीकी रूप से स्वीकृत आंकलन की राशी
---------	----------------------	---------------------------	---

1	P/L RCC pipe in W.No.6 near Heerpur road towards NH 72 bye pass Phase-I	As per HPSR,2009 =₹945674 +10% Premium=₹94567 =Total ₹1040241	945700
2	Providing & fixing of tiles in W.No.11 near the house of Shri Umesh towards House of shri Arora and the house of Shri Rangan towards House of shri Subhash	As per HPSR,2009 =₹962903 +10% Premium=₹96290 =Total ₹1059193	962900
3	P/L RCC pipe near Sabji Mandi towards the Shop of Sh. Arvind Gupta Paonta Sahib W.No.5	As per HPSR,2009 =₹945674 +10% Premium=₹94567 =Total ₹1040241	945674

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी ।

21 सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक, व्यय व तकनीकी स्वीकृति को नज़रअंदाज़ करने हेतु ₹49.63 लाख के निर्माण कार्यों को तीन लाख व पांच लाख से कम भागों में बाँटने सम्बन्धी अनियमितता

Himachal Pradesh Municipal Works Rules,2010 के नियम 3(1) के प्रावधानानुसार नगरपालिका को केवल पांच लाख तक के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है तथा नियम 4(2) के प्रावधानानुसार कनिष्ठ अभियंता को केवल तीन लाख व सहायक अभियंता को दस लाख तक के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है किन्तु निम्न वर्णित निर्माण कार्यों को तीन लाख व पांच लाख से कम भागों में बाँटकर सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति को नज़रअंदाज़ किया गया था तथा अपने स्तर पर ही परिषद/कनिष्ठ/ सहायक अभियंता द्वारा प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृतियां प्रदान की गयी थी जोकि वर्णित नियमों की उलंघना के कारण अनियमित है जिसका या तो औचित्य स्पष्ट किया जाये या इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी कार्योंतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

क्रमांक	आबंटन पत्र संख्या व दिनांक	माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ	RD संख्या	कुल भुगतान की राशी (₹ में)	कटौती की राशी (₹ में)	शुद्ध भुगतान की राशी (₹ में)
---------	----------------------------	-----------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	------------------------------

कार्य का नाम : Provision of Tourist Reception Centre/ Tourist Interpretation Centre & site improvement of open spaces near Gurudwara (SH: Providing of parking I/C development/upgradation of road around the ground)

1. ठेकेदार का नाम: Sh. Manoj Chawla वाउचर संख्या: 45 दिनांक 17.03.15 = ₹603588
MCP/Works/2013-14/810 134 1/268 to 719070 115482 603588
dated 30.07.13=₹772995 40to44 1/278
2. ठेकेदार का नाम: Sh. Dinesh Gupta वाउचर संख्या: 32 दिनांक 16.03.15 = ₹549309
MCP/Works/2013-14 134 1/278 to 654406 105097 549309
/811 dated 30.07.13 45to48 1/288
=₹797219
3. ठेकेदार का नाम: Sh. Dinesh Gupta वाउचर संख्या: 33 दिनांक 16.03.15 = ₹547494
MCP/Works/2013-14 134 1/288 to 652243 104749 547494
/809 dated 49to53 1/298
30.07.13=₹780710
4. ठेकेदार का नाम: Sh. Jagjit Singh वाउचर संख्या: 41 दिनांक 17.03.15 = ₹580241
MCP/Works/2013-14 134 1/298 to 691258 111017 580241
/nil dated 54to58 1/308
30.07.13=₹783986
5. ठेकेदार का नाम: Sh. Randhir Singh वाउचर संख्या: 43 दिनांक 17.03.15 = ₹611246
MCP/Works/2013-14 133 1/308 to 728191 116948 611243
/807 dated 84to88 1/318
30.07.13=₹787539
6. ठेकेदार का नाम: Sh. Manoj Bhardwaj वाउचर संख्या: 42 दिनांक 17.03.15 = ₹575761 रु०
MCP/Works/2013-14 133 1/318 to 685920 110159 575761
/806 dated 89to93 1/328
30.07.13=₹792790
7. ठेकेदार का नाम: Sh. Shamshad Ali वाउचर संख्या: 44 दिनांक 17.03.15 = ₹566099
MCP/Works/2013-14 134 1/328 to 674408 108309 566099
/805 dated 59to64 1/338
30.07.13=₹795571
8. ठेकेदार का नाम: Sh. Surinder Negi वाउचर संख्या: 46 दिनांक 17.03.15 = ₹659248
MCP/Works/2013-14/804 134 1/338 to 785378 126130 659248
dated 30.07.13=₹779321 65to69 1/350
9. ठेकेदार का नाम: Sh. Shamshad Ali वाउचर संख्या: 44 दिनांक 17.03.15 = ₹270185
MCP/Works/2013-14 134 1/350 to 321879 51694 270185
/804 dated 70to74 1/353
30.07.13=₹130282

कुल जोड़ 5912753 949585 4963168

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी ।

- 22 कार्य का नाम: C/o drain by laying RCC pipe near the house of Sh. Ram & near the shop of Sh.Tony W.N.9

ठेकेदार का नाम: Sh.Sajid Ali, आबंटन पत्र संख्या:MCP/Works/2014-15/832 दिनांक 27.09.14=1306792 i.e 79.36% above HPSR,2009

वाउचर का विवरण: संख्या 18 दिनांक 05.03.15=₹.854361(nett)(MB no.134)

उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रथम व अंतिम चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका नियमानुसार उचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

(1) गणना में त्रुटी के कारण ठेकेदार को ₹0.37 लाख का अधिक भुगतान

(क) उक्त कार्य की मद संख्या 5, “Brick work using common burnt clay building bricks in foundation & plinth in CM 1:6 etc.”, (MB no.134) की निष्पादित कार्य प्रमात्रा में से 700mm (External)/ 600mm (Internal) dia की Rcc pipe की Deduction की गणना करते समय सूत्र में dia 0.70m की अपेक्षा 0.60m लिया गया था जिस त्रुटी के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार ₹7595 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

Deduction हेतु गणना में ली गई कार्य प्रमात्रा	Deduction हेतु जो कार्य प्रमात्रा गणना में ली जानी चाहिए थी	कार्य प्रमात्रा में अंतर	कार्य मद की भुगतान दर	अधिक भुगतान की राशी (₹)
2x33no.x πr^2 i.e	2x33x π x0.35x0.35x0.23	1.55cum	₹4900 per cum	7595.00
2x33x π x0.30x0.30x0.23	=5.84cum			
=4.29cum				

(ख) इसी प्रकार उक्त (क) में वर्णित त्रुटी के कारण कार्य की मद संख्या 6, “15mm thick plaster in single coat on rough sides of bricks in CM 1:6 etc.”, (MB no.134) में भी निष्पादित कार्य प्रमात्रा में से 700mm (External)/ 600mm (Internal) dia की Rcc pipe की Deduction की गणना करते समय सूत्र में dia 0.70m की अपेक्षा 0.60m लेने के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार ₹856 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

Deduction हेतु गणना में ली गई कार्य प्रमात्रा	Deduction हेतु जो कार्य प्रमात्रा गणना में ली जानी चाहिए थी	कार्य प्रमात्रा में अंतर	कार्य मद की भुगतान दर	अधिक भुगतान की राशी (₹)
2x33no.x πr^2 i.e	2x33x π x0.35x0.35	6.74sqm	₹127 per sqm	856.00
2x33x π x0.30x0.30	=25.40sqm			
=18.66sqm				

(ग) ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण कार्य की दरों को negotiate करने के अतिरिक्त 2% Discount देने हेतु अपनी सहमती प्रदान की गई थी जिस तथ्य को गणना में लेकर ही उन्हें यह कार्य 79.36% above HPSR,2009=₹1306792 में आबंटित किया गया था परन्तु भुगतान करते समय बिल से 2% Discount की कटौती नहीं की गई थी जिसके कारण ₹28244(2% x total value of work done ₹1412174) का

ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशी की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

23 कार्य का नाम: P/L RCC pipe W.N.6 near Heerpur road towards NH 72 bye pass Phase-I
ठेकेदार का नाम: Sh.Surinder Singh, **आबंटन पत्र संख्या:**MCP/Works/2015-16/285 दिनांक 10.06.15=1440704 i.e 52.34% above HPSR,2009

वाउचर का विवरण: संख्या 20 दिनांक 06.11.15=₹701262(nett)(MB no.131)

(1) गणना में त्रुटी के कारण ठेकेदार को ₹3055 का अधिक भुगतान

(क) उक्त कार्य की मद संख्या 6/9, “Brick work using common burnt clay building bricks in foundation & plinth in CM 1:6 etc.”, (MB no.131) की निष्पादित कार्य प्रमात्रा में से 700mm (External)/ 600mm (Internal) dia की Rcc pipe की Deduction की गणना करते समय सूत्र में dia 0.70m की अपेक्षा 0.60m लिया गया था जिस त्रुटी के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार ₹3055 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशी की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

Deduction हेतु गणना में ली गई कार्य प्रमात्रा	Deduction हेतु जो कार्य कार्य प्रमात्रा गणना में ली जानी चाहिए थी	कार्य कार्य प्रमात्रा में अंतर	कार्य मद की भुगतान दर	अधिक भुगतान की राशी (₹)
2x14x0.35x0.35x0.23	2x14x0.35x0.35x0.23	0.65cum	₹4700 per cum	3055.00
2x14x0.30x0.30x0.23	=2.47cum			
=1.82cum				

(2) प्रतिस्थापित कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹4154 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

प्रतिस्थापित कार्य मद संख्या: 8/6-sI (माप पुस्तिका संख्या:131RE/Abstract of cost) “Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30x30x5mm so as to give fair finish etc.—Edges of slab & breaks in floor and walls” की कुल कार्य प्रमात्रा 96.60 मीटर का ₹110 प्रति मीटर की दर से ठेकेदार को ₹10626 का भुगतान किया गया था। इस प्रतिस्थापित कार्य मद की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर विश्लेषण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए किन्तु प्रस्तुत अभिलेख एवम सम्बन्धित अभियंता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार वर्णित प्रतिस्थापित कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर HPSR 2009 की दर ₹78.15 प्रति मीटर में Contractor Overall Premium 52.34%above जोड़कर =₹110 प्रति मीटर आंकलन करके भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि अनुबंध की धारा 12(ii) के अंतर्गत वर्णित भुगतान दर ठेकेदार द्वारा Similar item के Premium को आधार रखकर निम्न (B) अनुसार ₹67 प्रति मीटर निर्धारित करके भुगतान किया जाना चाहिए था। अतः वर्णित अनियमितता के कारण ठेकेदार को ₹4154{96.60m x ₹.43(₹110-₹67)} का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो

नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशी की संबंधित उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(A) अनुबंध की मूल कार्य मद संख्या: 6 “Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30x30x5mm so as to give fair finish etc.—Flat surfaces such as soffits, suspended floors etc.—floors upto 200mm in thickness” का HPSR 2009 के अनुसार Rate = ₹243.65 per Sqm

इस कार्य मद की ठेकेदार से अनुबंधित दर = ₹210 प्रति वर्गमी०

अतः इस कार्य मद हेतु Contractor Premium:

$$= \frac{33.65 (243.65 - 210.00)}{243.65} \times 100 = 13.81\% \text{ Below}$$

(B) निष्पादित कार्य मद “Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30x30x5mm so as to give fair finish etc.—Edges of slab & breaks in floor and walls” का HPSR 2009 के अनुसार Rate = ₹78.15 per Rmt.

ADD Similar item Premium 13.81% Below as per (A) above = (-) ₹10.79

अतः Rate to be paid to Contactor = ₹67.36 say ₹67 per Rmt.

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

24 कार्य का नाम: P/L RCC pipe near Sabji Mandi towards the Shop of Sh. Arvind Gupta Paonta Sahib W.N0.5

ठेकेदार का नाम: Sh.Anil Kumar, **आबंटन पत्र संख्या:** MCP/Works/2015-16/525 दिनांक 29.07.15=1528060 i.e 61.58% above HPSR,2009

वाउचर का विवरण: संख्या 42 दिनांक 26.11.15=₹677502(net)(MB no.127)

(1) गणना में त्रुटी के कारण ठेकेदार को ₹9699 का अधिक भुगतान

(क) उक्त कार्य की मद संख्या 5/14, “Brick work using common burnt clay building bricks in foundation & plinth in CM 1:6 etc.”, (MB no.127) की निष्पादित कार्य प्रमात्रा में से 700mm (External)/ 600mm (Internal) dia की Rcc pipe की Deduction की गणना करते समय सूत्र में dia 0.70m की अपेक्षा 0.60m लिया गया था जिस त्रुटी के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार ₹8215 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशी की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

Deduction हेतु गणना में ली गई कार्य प्रमात्रा	Deduction हेतु जो कार्य प्रमात्रा गणना में ली जानी चाहिए थी	कार्य प्रमात्रा में अंतर	कार्य मद की भुगतान दर	अधिक भुगतान की राशी (₹)
$36 \times \pi \times r^2 \times h$ i.e $36 \times \pi \times 0.30 \times 0.30 \times 0.23$ =2.34cum	$36 \times \pi \times 0.35 \times 0.35 \times 0.23$ =3.19cum	0.85cum	₹4890 per cum	4157.00
$35 \times \pi \times r^2 \times h$ i.e $36 \times \pi \times 0.30 \times 0.30 \times 0.23$	$35 \times \pi \times 0.35 \times 0.35 \times 0.23$ =3.10cum	0.83cum	₹4890 per cum	4058.00

=2.27cum(MB-132,P-73)

Total= 4.61cum 6.29cum 1.68cum ₹4890 per cum 8215.00

(ख) इसी प्रकार उक्त (क) में वर्णित त्रुटी के कारण कार्य की मद संख्या 5/15, “15mm thick plaster in single coat on rough sides of bricks in CM 1:6 etc.”, (MB no.127 पृष्ठ-86&87) में भी निष्पादित कार्य प्रमात्रा में से 700mm (External)/ 600mm (Internal) dia की Rcc pipe की Deduction की गणना करते समय सूत्र में dia 0.70m की अपेक्षा 0.60m लेने के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार ₹946 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशी की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

Deduction हेतु गणना में ली गई कार्य प्रमात्रा	Deduction हेतु जो कार्य प्रमात्रा गणना में ली जानी चाहिए थी	कार्य प्रमात्रा में अंतर	कार्य मद की भुगतान दर	अधिक भुगतान की राशी (₹)
36no.x πr^2 i.e 36x π x0.30x0.30 =10.17sqm	36x π x0.35x0.35 =13.86sqm	3.69sqm	₹130 per sqm	479.00
35no.x πr^2 i.e 35x π x0.30x0.30 =9.89sqm(MB-132,P-74)	35x π x0.35x0.35 =13.48sqm	3.59sqm	₹130 per sqm	467.00
Total= 20.06sqm	27.34sqm	7.28sqm	₹130 per sqm	946.00

(ग) उक्त कार्य की मद संख्या 5/14, “Brick work using common burnt clay building bricks in foundation & plinth in CM 1:6 etc.”, (MB no.127) की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 34.84 घनमीटर का ₹4890 की दर से ₹158925 का ठेकेदार को भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या:127 पर दर्ज विस्तृत रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना की त्रुटी के कारण निम्न विवरण अनुसार 0.11 घनमीटर कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹538 बनता है। अतः अधिक भुगतान की राशि का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

भुगतान हेतु गणना में ली गई निष्पादित कार्य प्रमात्रा	भुगतान हेतु जो निष्पादित कार्य प्रमात्रा गणना में ली जानी चाहिए थी	कार्य प्रमात्रा में अंतर	कार्य मद की भुगतान दर	अधिक भुगतान की राशी (₹)
1x2 x1.19x0.23 =0.82cum	1x2 x1.19x0.23 =0.71cum	0.11cum	₹4890 per cum	538.00

(2) अतिरिक्त/प्रतिस्थापित कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹431 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

(i) प्रतिस्थापित कार्य मद संख्या: 7/EI (माप पुस्तिका संख्या:127 RE/Abstract of cost) “Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30x30x5mm so as to give fair finish etc.—Edges of slab & breaks in floor and walls” की कुल कार्य प्रमात्रा

368.40 मीटर (259.20+109.20) का ₹78.15 प्रति मीटर की दर से ठेकेदार को ₹28679 का भुगतान किया गया था। इस प्रतिस्थापित कार्य मद की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर विवेक्षण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए किन्तु प्रस्तुत अभिलेख एवम सम्बन्धित अभियंता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार वर्णित प्रतिस्थापित कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर HPSR 2009 की दर ₹78.15 प्रति मीटर At Par आंकलन करके भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि अनुबंध की धारा 12(ii) के अंतर्गत वर्णित भुगतान दर ठेकेदार द्वारा Similar item के Premium को आधार रखकर निम्न (B) अनुसार ₹76.98 प्रति मीटर निर्धारित करके भुगतान किया जाना चाहिए था। अतः वर्णित अनियमितता के कारण ठेकेदार को ₹431{368.40mxRs.1.17 (₹78.15-₹76.98)} का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशी की संबंधित उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(A) अनुबंध की मूल कार्य मद संख्या: 6 “Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30x30x5mm so as to give fair finish etc.—Flat surfaces such as soffits, suspended floors etc.—floors upto 200mm in thickness” का HPSR 2009 के अनुसार Rate =₹.243.65perSqm

इस कार्य मद की ठेकेदार से अनुबंधित दर =₹240 प्रति वर्गमी०

अतः इस कार्य मद हेतु Contractor Premium:

$$= \frac{3.65 (243.65 - 240.00)}{243.65} \times 100 = 1.50\% \text{ Below}$$

(B) निष्पादित कार्य मद “Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30x30x5mm so as to give fair finish etc.—Edges of slab & breaks in floor and walls” का HPSR 2009 के अनुसार Rate =₹78.15 per Rmt.

ADD Similar item Premium 1.50% Below as per (A) above =(-)₹1.17

अतः Rate to be paid to Contactor =₹76.98 per Rmt.

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

25 कार्य का नाम: P/L RCC pipe W.N.6 near Heerpur road towards NH 72 bye pass Phase-II

ठेकेदार का नाम: Sh.Narayan Singh, **आबंटन पत्र संख्या:** MCP/Works/2015-16/528 दिनांक 29.07.15=1369380 i.e 44.80% above HPSR,2009

वाउचर का विवरण: संख्या 19 दिनांक 06.11.15=₹607500(net)(MB no.129)

(1) गणना में त्रुटी के कारण ठेकेदार को ₹3075 का अधिक भुगतान

उक्त कार्य की मद संख्या 4/9, “Brick work using common burnt clay building bricks in foundation & plinth in CM 1:6 etc.”, (MB no.129 पृष्ठ 82 & 83) की निष्पादित कार्य प्रमात्रा में से 700mm (External)/ 600mm (Internal) dia की Rcc pipe की Deduction की गणना करते समय सूत्र में dia 0.70m की अपेक्षा 0.60m लिया गया था जिस त्रुटी के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार ₹3075 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशी की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

Deduction हेतु गणना में ली गई कार्य प्रमात्रा	Deduction हेतु जो कार्य प्रमात्रा गणना में ली जानी चाहिए थी	कार्य प्रमात्रा में अंतर	कार्य मद की भुगतान दर	अधिक भुगतान की राशी (₹)
2x16no.x $\pi r^2 \times h$ i.e	2x16x $\pi \times 0.35 \times 0.35 \times 0.23$	0.75cu	₹4100 per	3075.00

$$\frac{2 \times 16 \times \pi \times 0.30 \times 0.30}{4} = 2.83 \text{ cum} \quad \text{m} \quad \text{cum}$$

$$2.83 \times 0.23 = 0.65 \text{ cum}$$

(2) गणना में त्रुटी के कारण ठेकेदार को ₹14588 का अधिक भुगतान

उक्त कार्य की मद संख्या 8/8, “P/L to level slope RCC heavy duty pipe of 600mm internal diameter etc”, (MB no.129 पृष्ठ 86 & 87) की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 202.50 मीटर का ₹1945 की दर से ₹393862 का ठेकेदार को भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या:129 पर दर्ज विस्तृत रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि योग की त्रुटी के कारण कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा वास्तविकता में 202.50 मीटर की अपेक्षा 195.00 मीटर ही बनती थी। अतः इस अनियमितता के कारण ठेकेदार को ₹14588 (202.50मी^०×195.00 मी^०× ₹1945) का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशी की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(3) अतिरिक्त/प्रतिस्थापित कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹11675 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

(i) प्रतिस्थापित कार्य मद संख्या: 6/6-EI (माप पुस्तिका संख्या:129 पृष्ठ-85 RE/Abstract of cost) “Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30x30x5mm so as to give fair finish etc.—Edges of slab & breaks in floor and walls” की कुल कार्य प्रमात्रा 253.80 मीटर का ₹113 प्रति मीटर की दर से ठेकेदार को ₹28679 का भुगतान किया गया था। इस प्रतिस्थापित कार्य मद की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर विश्लेषण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए किन्तु प्रस्तुत अभिलेख एवम सम्बन्धित अभियंता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार वर्णित प्रतिस्थापित कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर HPSR 2009 की दर ₹78.15 प्रति मीटर में Contractor Overall Premium 44.80%above जोड़कर =₹113 प्रति मीटर आंकलन करके भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि अनुबंध की धारा 12(ii) के अंतर्गत वर्णित भुगतान दर ठेकेदार द्वारा Similar item के Premium को आधार रखकर निम्न (B) अनुसार ₹67 प्रति मीटर निर्धारित करके भुगतान किया जाना चाहिए था। अतः वर्णित अनियमितता के कारण ठेकेदार को ₹11675{253.80mx₹46(₹113-₹67)} का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की संबंधित उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(A) अनुबंध की मूल कार्य मद संख्या: 6 “Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30x30x5mm so as to give fair finish etc.—Flat surfaces such as soffits, suspended floors etc.—floors upto 200mm in thickness” का HPSR 2009 के अनुसार Rate =₹243.65perSqm

इस कार्य मद की ठेकेदार से अनुबंधित दर =₹ 210 प्रति वर्गमी०

अतः इस कार्य मद हेतु Contractor Premium:

$$= \frac{33.65 (243.65 - 210.00)}{243.65} \times 100 = 13.81\% \text{ Below}$$

(B) निष्पादित कार्य मद “Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30x30x5mm so as to give fair finish etc.—Edges of slab & breaks in floor and walls” का HPSR 2009 के अनुसार Rate =₹78.15 per Rmt.

ADD Similar item Premium 13.81% Below as per (A) above =(-)₹10.79

अतः Rate to be paid to Contactor =₹67.36say ₹67perRmt.

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र

संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

26 **कार्य का नाम:** Re C/o drain by laying RCC Hume pipe 600mm dia at Yamuna Vihar Phase-II W.N.5 Paonta Sahib

ठेकेदार का नाम: Sh.Sajid Ali, **आबंटन पत्र संख्या:**MCP/Works/2015-16/903 दिनांक 22.09.15=840478 i.e 61.28% above HPSR,2009

वाउचर का विवरण: संख्या 15 दिनांक 04.11.15=₹796119(nett)(MB no.132 पृष्ठ 81 to 94)

(1) गणना में त्रुटी के कारण ठेकेदार को ₹5401 का अधिक भुगतान

(क) उक्त कार्य की मद संख्या 5/9, “Brick work using common burnt clay building bricks in foundation & plinth in CM 1:6 etc.”, (MB no.132 पृष्ठ 87 & 88) की निष्पादित कार्य प्रमात्रा में से 700mm (External)/ 600mm (Internal) dia की Rcc pipe की Deduction की गणना करते समय सूत्र में dia 0.70m की अपेक्षा 0.60m लिया गया था जिस त्रुटी के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार ₹4841 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

Deduction हेतु गणना में ली गई कार्य प्रमात्रा	Deduction हेतु जो कार्य प्रमात्रा गणना में ली जानी चाहिए थी	कार्य प्रमात्रा में अंतर	कार्य मद की भुगतान दर	अधिक भुगतान की राशि (₹)
$2 \times 21 \text{ no.} \times \pi \times h \text{ i.e}$	$2 \times 21 \times \pi \times 0.35 \times 0.35 \times 0.23$	0.99cum	₹4890 per cum	4841.00
$2 \times 21 \times \pi \times 0.30 \times 0.30 \times 0.23$	$= 3.72 \text{ cum}$			
$= 2.73 \text{ cum}$				

(ख) इसी प्रकार उक्त (क) में वर्णित त्रुटी के कारण कार्य की मद संख्या 6/10, “15mm thick plaster in single coat on rough sides of bricks in CM 1:6 etc.”, (MB no.132 पृष्ठ 89-90) में भी निष्पादित कार्य प्रमात्रा में से 700mm (External)/ 600mm (Internal) dia की Rcc pipe की Deduction की गणना करते समय सूत्र में dia 0.70m की अपेक्षा 0.60m लेने के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार ₹560 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

Deduction हेतु गणना में ली गई कार्य प्रमात्रा	Deduction हेतु जो कार्य प्रमात्रा गणना में ली जानी चाहिए थी	कार्य प्रमात्रा में अंतर	कार्य मद की भुगतान दर	अधिक भुगतान की राशि (₹)
$2 \times 21 \text{ no.} \times \pi \times i.e$	$2 \times 21 \times \pi \times 0.35 \times 0.35$	4.31sqm	₹130 per sqm	560.00
$2 \times 21 \times \pi \times 0.30 \times 0.30$	$= 16.17 \text{ sqm}$			
$= 11.86 \text{ sqm}$				

(2) अतिरिक्त/प्रतिस्थापित कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹36386 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

(i) प्रतिस्थापित कार्य मद संख्या: 8/6-EI (माप पुस्तिका संख्या:132 पृष्ठ-92 RE/Abstract of cost) “Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30x30x5mm so as to give fair finish etc.—Edges of slab & breaks in floor and walls” की कुल कार्य प्रमात्रा 308.70 मीटर का ₹125 प्रति मीटर की दर से ठेकेदार को ₹38588 का भुगतान किया गया था। इस प्रतिस्थापित कार्य मद की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर विश्लेषण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए किन्तु प्रस्तुत अभिलेख एवम सम्बन्धित अभियंता द्वारा उपलब्ध मौखिक सुचना अनुसार वर्णित प्रतिस्थापित कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर HPSR 2009 की दर ₹78.15 प्रति मीटर में Contractor Overall Premium 61.28%above जोड़कर =₹125 प्रति मीटर आंकलन करके भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि अनुबंध की धारा 12(ii) के अंतर्गत वर्णित भुगतान दर ठेकेदार द्वारा Similar item के Premium को आधार रखकर निम्न **(B)** अनुसार ₹77 प्रति मीटर निर्धारित करके भुगतान किया जाना चाहिए था। अतः वर्णित अनियमितता के कारण ठेकेदार को ₹14818 {308.70mx₹48(Rs125-₹77)} का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की संबंधित उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(A) अनुबंध की मूल कार्य मद संख्या: 6 “Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30x30x5mm so as to give fair finish etc.—Flat surfaces such as soffits, suspended floors etc.—floors upto 200mm in thickness” का HPSR 2009 के अनुसार Rate =₹243.65perSqm

इस कार्य मद की ठेकेदार से अनुबंधित दर =₹240 प्रति वर्गमी०

अतः इस कार्य मद हेतु Contractor Premium:

$$= \frac{3.65}{243.65} (243.65 - 240.00) \times 100 = 1.50\% \text{ Below}$$

(B) निष्पादित कार्य मद “Providing form work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30x30x5mm so as to give fair finish etc.—Edges of slab & breaks in floor and walls” का HPSR 2009 के अनुसार Rate =₹78.15 per Rmt.

ADD Similar item Premium 1.50% Below as per (A) above = (-) ₹1.17

अतः Rate to be paid to Contactor =₹76.98say **₹77perRmt.**

(ii) अतिरिक्त कार्य मद संख्या: 3 /EI (माप पुस्तिका संख्या:132पृष्ठ-84 RE/Abstract of cost) “Excavation drain ,channel etc. in earth work I/C dressing of sides and bed etc.” की कुल कार्य प्रमात्रा 245.09 घनमीटर का ₹235 प्रति घनमीटर की दर से ठेकेदार को ₹57596 का भुगतान किया गया था। इस अतिरिक्त कार्य मद की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर विश्लेषण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए किन्तु प्रस्तुत अभिलेख एवम सम्बन्धित अभियंता द्वारा उपलब्ध मौखिक सुचना अनुसार वर्णित अतिरिक्त कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर HPSR 2009 की दर ₹147.38 घनमीटर (Average of pick & jumper rate i.e 93.70+201.05=294.75/2) में Contractor Overall Premium 61.28%above जोड़कर =₹235 प्रति मीटर आंकलन करके भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि अनुबंध की धारा 12(ii) के अंतर्गत वर्णित भुगतान दर ठेकेदार द्वारा Similar item के Premium को आधार रखकर निम्न **(B)** अनुसार ₹77 घनमीटर निर्धारित करके भुगतान किया जाना चाहिए था। अतः वर्णित अनियमितता के कारण ठेकेदार को ₹21568 {245.09mx₹88(₹235-₹147)} का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की संबंधित उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(A) अनुबंध की मूल कार्य मद संख्या: 2 “Excavation foundation, trenches etc. in earth work lift upto 1.5m stacking the excavated soil not more than 3m clear from the edge of the excavation etc.” का HPSR 2009 के अनुसार Rate (Average of pick & jumper rate i.e $117.10+244.00=361.10/2$) = ₹180.55 घन मी०

इस कार्य मद की ठेकेदार से अनुबंधित दर = ₹180 प्रति घनमी०

अतः इस कार्य मद हेतु Contractor Premium:

$$= \frac{0.55 (180.55 - 180.00)}{180.55} \times 100 = 0.30\% \text{ Below}$$

(B) निष्पादित कार्य मद “Excavation drain, channel etc. in earth work I/C dressing of sides and bed etc.” का HPSR 2009 के अनुसार Rate (Average of pick & jumper rate i.e $93.70+201.05=294.75/2$) = ₹147.38 घन मी०

ADD Similar item Premium 0.30% Below as per (A) above = (-) ₹0.44

अतः Rate to be paid to Contactor = ₹146.94 say ₹147 per cum.

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

- 27 **कार्य का नाम:** C/o drain near the house of Sh. Rajesh singla W.No.2 Paonta Sahib **ठेकेदार का नाम:** Sh.Mehraj Ali, **आबंटन पत्र संख्या:** MCP/Works/2014-15/964 दिनांक 29.10.14=1304476 i.e 82.69% above HPSR,2009 **वाउचर संख्या:** 43 दिनांक 14.08.15=₹972759 (nett)(MB no.137)

(1) गणना में त्रुटी के कारण ठेकेदार को ₹9972 का अधिक भुगतान

(क) उक्त कार्य की मद संख्या 4, “Brick work using common burnt clay building bricks in foundation & plinth in CM 1:6 etc.”, (MB no.137) की निष्पादित कार्य प्रमात्रा में से 700mm (External)/ 600mm (Internal) dia की Rcc pipe की Deduction की गणना करते समय सूत्र में dia 0.70m की अपेक्षा 0.60m लिया गया था जिस त्रुटी के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार ₹8967 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशी की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

Deduction हेतु गणना में ली गई कार्य प्रमात्रा	Deduction हेतु जो कार्य प्रमात्रा गणना में ली जानी	कार्य प्रमात्रा में	कार्य मद की भुगतान दर	अधिक भुगतान की
---	--	---------------------	-----------------------	----------------

	चाहिए थी	अंतर	राशी (₹)
2x38no.x πr^2 x h i.e	2x38x π x0.35x0.35x0.	1.83cum	₹4900 per
2x38x π x0.30x0.30x0.23	23		cum
=4.90cum	=6.73cum		

(ख) इसी प्रकार उक्त (क) में वर्णित त्रुटी के कारण कार्य की मद संख्या 5, “15mm thick plaster in single coat on rough sides of bricks in CM 1:6 etc.”, (MB no.137) में भी निष्पादित कार्य प्रमात्रा में से 700mm (External)/ 600mm (Internal) dia की Rcc pipe की Deduction की गणना करते समय सूत्र में dia 0.70m की अपेक्षा 0.60m लेने के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार ₹ का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशी की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

Deduction हेतु गणना में ली गई कार्य प्रमात्रा	Deduction हेतु जो कार्य प्रमात्रा गणना में ली जानी चाहिए थी	कार्य प्रमात्रा में अंतर	कार्य मद की भुगतान दर	अधिक भुगतान की राशी (₹)
2x38no.x πr^2 i.e	2x38x π x0.35x0.35	7.91sqm	₹127 per	1005.00
2x38x π x0.30x0.30	=29.25sqm		sqm	
=21.34sqm				

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

- 28 **कार्य का नाम:** Provision of Tourist Reception Centre/ Tourist Interpretation Centre & site improvement of open spaces near Gurudwara (SH:Providing of parking I/C development/upgradation of road around the ground RD 1/278 to 1/288) **ठेकेदार का नाम:** Sh.Dinesh Gupta, **आबंटन पत्र संख्या:** MCP/Works/2013-14/811 दिनांक 30.07.13=797219 i.e 3.26% above HPSR,2009
वाउचर का विवरण: संख्या 32 दिनांक 16.03.15=Rs.549309(net)(MB no.134पृष्ठ-45to48)

(1) निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा को वास्तविकता से अधिक गणना में लेने के कारण ठेकेदार को ₹0.27 लाख का अधिक भुगतान

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि प्रथमतः माप पुस्तिका संख्या :134 पृष्ठ-46 पर दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों में वर्णित कार्य का क्षेत्रफल :

$$495.00(1 \times 10.00 + 10.00 + 9.80 + 9.80 \times 50) + 21.75(1/2 \times 8.70 \times 5.00) = \text{कुल } 516.75 \text{ वर्गमी० लिया}$$

4

गया था किन्तु बाद में 21.75 वर्गमी० (1/2 x 8.70 x 5.00) के परिमाण को काटकर नगर परिषद अभियंता द्वारा वर्णित कार्य का वास्तविक क्षेत्रफल केवल 495.00 वर्गमी० {1x(10.00 + 10.00 + 9.80 + 9.80)/4 x 50} ही सत्यापित (Test check) किया गया था किन्तु ठेकेदार को भुगतान करते

समय कार्य का वास्तविक क्षेत्रफल 495.00 वर्गमी० की अपेक्षा 516.75वर्गमी० क्षेत्रफल काटपीट करके गणना में लिया गया जोकि 21.75वर्गमी० अधिक था। चूँकि निर्माण कार्य की कार्य मद संख्या :1से 4 तक की निष्पादित कार्य प्रमात्रा इसी क्षेत्रफल पर आधारित थी इसलिए वर्णित कार्य प्रमात्रा में गणना की वर्णित त्रुटी /अनियमितता के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार ₹26919 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

कार्य मद का संख्या व नाम	गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
(1).Dressing the ground I/c cutting & filling upto 15cm etc.	516.75Sqm	495.00 Sqm	21.75Sqm	10.80 per sqm	235.00
(2).P/L spreading & compacting stone Agg. Of specific size-90mm to 45mm etc.	516.75Sqm $\times$ 0.10 m =51.67cum	495.00Sqm $\times$ 0.10 m =49.50cum	2.17cum	1000.00	2170.00
(3).P/L spreading & compacting stone Agg. Of specific size-63mm to 45mm etc.	516.75Sqm $\times$ (0.10 +0.15m)/2 =64.59cum	495.00(0.10+0.15 m)/2 =61.88cum	2.71cum	1100.00 per cum	2981.00
(4).P/L 80mm thick heavy duty precast CC inter locking paver blocks having compressive strength of M-40 etc.	516.75Sqm	495.00 Sqm	21.75Sqm	990.00 per sqm	21533.00
कुल जोड़					26919.00

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

29 कार्य का नाम: Mettalling & tarring of road in W.No. 4 near NH-72 to the house of Shri Anil Bhatnagar (Job No.8)

ठेकेदार का नाम: Sh.Tapinder Singh, आबंटन पत्र संख्या:MCP/Works/2015-16/303 दिनांक 20.06.15=884364 i.e 36.83% above HPSR,2009(Rural Roads)

वाउचर: संख्या 43 दिनांक 26.11.15=₹554533(nett)(MB no.138 पृष्ठ 58 to 66)

(1)योग की गणना में त्रुटी के कारण ठेकेदार को ₹1352 का अधिक भुगतान

कार्य मद संख्या: 2 (माप पुस्तिका संख्या:138,RE/Abstract of cost) “P/L spreading & compacting stone Agg. Of specific size-63mm to 45mm etc..” की कुल कार्य प्रमात्रा 101.50 घनमी० का ₹1260 प्रति घनमी० की दर से ठेकेदार को ₹127890 का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या:138 पृष्ठ 61 & 62 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि योग की गणना में त्रुटी के कारण वास्तविक कार्य प्रमात्रा 101.50 घनमी० की अपेक्षा 101.20 घनमी० ही

बनती थी तथा इस प्रकार 0.30 घनमी० (101.50-101.20) कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था। चूंकि निर्माण कार्य की मद संख्या :3 से 6 तक की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना भी उक्त वर्णित मद संख्या:2 की ली गयी निष्पादित कार्य प्रमात्रा 101.50 घनमी० को आधार में रखकर ही की गयी थी इसलिए वर्णित योग की गणना में त्रुटी के कारण इन सभी कार्य मदों में भी ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि निम्न विवरण अनुसार कुल ₹1352 बनता है जिसकी वसूली अब संबंधित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

कार्य मद संख्या व नाम	गणना जिसका भुगतान किया गया	सही जिसका किया चाहिए था	गणना अधिक भुगतान भुगतान जाना	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
(2).P/L spreading & compacting stone Agg. Of specific size-63mm to 45mm etc.(MB No.138P-62)	101.50cum	101.20cum	0.30cum	1260.00 per cum	378.00	
(3) P/L tack coat with paving of Bitumen VG-10 grade @ 0.70-1.00kg etc.(MB No.138P-63)	<u>101.50cum</u> 0.10m =1015.00sqm	<u>101.20cum</u> 0.10m =1012.00sqm	3.00Sqm	58.00 per sqm	174.00	
(4) P/L tack coat with paving of Bitumen VG-10 grade @ 0.20-0.25kg etc.(MB No.138P-64)	<u>101.50cum</u> 0.10m =1015.00sqm	<u>101.20cum</u> 0.10m =1012.00sqm	3.00Sqm	22.00 per sqm	66.00	
(5) P/L and laying open graded premix carpet of 20mm thick using VG-10 grade etc.(MB No.138P-64)	<u>101.50cum</u> 0.10m =1015.00sqm	<u>101.20cum</u> 0.10m =1012.00sqm	3.00Sqm	180.00 per sqm	540.00	
(6) P/L seal coat for sealing the voids in bituminous surface using VG-10 grade etc. (MB No.138P-65)	<u>101.50cum</u> 0.10m =1015.00sqm	<u>101.20cum</u> 0.10m =1012.00sqm	3.00Sqm	64.70 per sqm	194.00	
कुल जोड़						1352.00

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

30 कार्य का नाम: Repair of MC building (CDPO Office) near Balmiki Basti in W.No. 5 (Job No.51) **ठेकेदार का नाम:** Sh.Kuldeep Singh, **आबंटन पत्र संख्या:** MCP/Works/2015-16/555

दिनांक 04.08.15=₹496533 i.e 32.50% above but actually 25.38%above HPSR,2009 (Rural Roads)of estimated cost ₹396036.

वाउचर संख्या: 18 दिनांक 06.11.15=Rs.261532(nett)(MB no.136)

(1) ठेकेदार को negotiation अनुसार भुगतान न करने के कारण ₹0.51 लाख का अधिक भुगतान

ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण कार्य की दरों को negotiate करने के उपरांत 15% Overall Discount देने हेतु अपनी सहमती प्रदान की गई थी जिस तथ्य को गणना में लेकर ही उन्हें यह कार्य 32.50% above HPSR,2009 (Rural Roads)=₹496533 में आबंटित किया गया था परन्तु भुगतान करते समय प्रथम चलत बिल से 15% Discount की कटौती नहीं की गई थी(MB no.136 पृष्ठ 74) जिसके कारण ₹50783 (15% x total value of work done ₹338555) की राशी का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशी की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) अतिरिक्त कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार को उच्च दर पर भुगतान करने के कारण ₹867 का अधिक भुगतान

अतिरिक्त कार्य मद संख्या: 7/EI (माप पुस्तिका संख्या:136 RE/Abstract of cost) “P/L CC 1:3:6 In foundation and flinth etc.” की कुल कार्य प्रमात्रा 5.45 घनमीटर का ₹3400 प्रति घनमीटर की दर से ठेकेदार को ₹18530 का भुगतान किया गया था। इस अतिरिक्त कार्य मद की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर विक्षेपण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए किन्तु प्रस्तुत अभिलेख एवम सम्बन्धित अभियंता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार वर्णित अतिरिक्त कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर HPSR 2009 की दर ₹2585.15 घनमीटर Contractor Overall Premium 32.50%above जोड़कर =₹3400 प्रति घनमीटर आंकलन करके भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि वास्तविकता में गणना में त्रुटी के कारण Contractor Overall Premium 32.50%above का गलत आंकलन किया गया था जबकि इस कार्य की अनुमोदित अनुमानित लागत ₹396036 के दृष्टिगत Contractor Overall Premium 25.38%above बनता है और इस आधार पर ठेकेदार को कार्य मद की भुगतान दर ₹3241 प्रति घनमीटर (HPSR 2009 की दर ₹2585.15 घनमीटर + Contractor Overall Premium 25.38%above) बनती है। अतः वर्णित अनियमितता के कारण ठेकेदार को ₹867 {5.45cumx₹159(₹3400-₹3241)} का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशी की संबंधित उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

31 कार्य का नाम: Re-C/o street near the house of Sh. Gautam in W.No.10

ठेकेदार का नाम: Sh.Mehraj Ali, **आबंटन पत्र संख्या:**MCP/Works/2013-14/787 दिनांक 18.09.14=832342 i.e 16.57% above HPSR,2009

वाउचर संख्या: 48 दिनांक 27.11.15=₹.128915(nett)(MB no.131)

(1) ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹2525 का अधिक भुगतान

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए संबंधित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि बिल/अनुबंध की कार्य मद संख्या :4/8“P/L CC 1:2:4 using graded stone Aggr.20mm nominal size&curing complete in foundation& plinth etc.” की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 50.50 घनमीटर का ₹4100 प्रति घनमीटर की दर से ठेकेदार को ₹207050 का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या:131, RE/Abstract of cost) जबकि इस कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार से quoted rate ₹4100 प्रति घनमीटर के बदले negotiated rate ₹4050 प्रति घनमीटर की दर अनुबंधित थी । अतः इस प्रकार ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹2525 {50.50cum x ₹50 (₹4100-₹4050)}का अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशी की संबंधित उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी ।

- 32 कार्य का नाम:** C/o Path by laying RCC slabs in W.No.10 near tha house of Sh. Mohd.Irshad **ठेकेदार का नाम:** Sh.Rattan Rana, **आबंटन पत्र संख्या:** MCP/ Works / 2015-16/284 दिनांक 10.06.15=397120 i.e 7.94% below HPSR, 2009
वाउचर संख्या: 49 दिनांक27.11.15=₹98569(net)(MB no.130)

(1) अतिरिक्त कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार को ₹3109 का अधिक भुगतान

अतिरिक्त कार्य मद संख्या: 1/EI (माप पुस्तिका संख्या:130 पृष्ठ-53 Abstract of cost) “P/L CC 1:6:12 In foundation and flinth etc.” की कुल कार्य प्रमात्रा 67.52 घनमीटर का ₹1788.27 प्रति घनमीटर की दर से ठेकेदार को ₹120744 का भुगतान किया गया था। इस अतिरिक्त कार्य मद की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर विश्लेषण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए किन्तु प्रस्तुत अभिलेख एवम सम्बन्धित अभियंता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार वर्णित अतिरिक्त कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर HPSR 2009 की दर ₹1942.50 प्रति घनमीटर में Contractor Overall Premium 7.94% below जोड़कर =₹1788.27 प्रति घनमीटर आंकलन करके भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि अनुबंध की धारा 12(ii) के अंतर्गत वर्णित भुगतान दर ठेकेदार द्वारा Similar item के Premium को आधार रखकर निम्न **(B)** अनुसार ₹1742.23 प्रति घनमीटर निर्धारित करके भुगतान किया जाना चाहिए था। अतः वर्णित अनियमितता के कारण ठेकेदार को ₹3109{67.52cumxRs.46.04(₹1788.27-₹1742.23)} का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशी की संबंधित उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(A) समान निर्माण कार्य के लिए अनुबंध में शामिल मूल कार्य मदों के निष्पादन हेतु Contractor Average Premium:

कार्य मद संख्या व् नाम	अनुमानित कार्य प्रमात्रा	HPSR,2009 अनुसार दर (₹)	अनुमानित लागत (₹)	अनुबंधित दर (₹)	अनुबंधित लागत (₹)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

(1) P/L CC 1:3:6 In foundation and Plinth etc	38.40cum	2585.15 per cum	99269.76	2350.00 per cum	90240.00
(2) P/L CC 1:2:4 In foundation and flinth etc	32.00cum	3130.20 per cum	100166.40	2830.00 per cum	90560.00
Total			199436.16		180800

अतः इस कार्य मदों हेतु **Contractor Average Premium:**

$$= \frac{18636.16 (199436.16 - 180800)}{180800} \times 100 = 10.31\% \text{ Below}$$

(B) निष्पादित अतिरिक्त कार्य मद संख्या: 1/EI “P/L CC 1:6:12 In foundation and Plinth etc.” का HPSR 2009 के अनुसार Rate = 1942.50 per cum

ADD Similar item Premium 10.31% Below as per (A) above = (-) ₹200.27

अतः Rate to be paid to Contactor = ₹1742.23 per cum

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

- 33 कार्य का नाम:** Mettalling & tarring of road in W.No. 11 from the house of shri Ramesh towards college road culvert **ठेकेदार का नाम:** Sh.Ranjit Singh, **आबंटन पत्र संख्या:** MCP/Works/2015-16/274 दिनांक 10.06.15=568480 i.e 38.53% above HPSR,2009(Rural Roads)

वाउचर संख्या: 45 दिनांक 27.11.15=₹943889(net)(MB no.128 पृष्ठ 53)

(1) निष्पादित कार्य प्रमात्रा की अनुबंधित भुगतान दर की unit घनमीटर की अपेक्षा वर्ग मीटर में गणना करने की त्रुटि के कारण ठेकेदार को ₹1.02 लाख का अधिक भुगतान

वर्णित निर्माण कार्य की मद संख्या: 1 (माप पुस्तिका संख्या: 128, पृष्ठ 53 /Abstract of cost) “Cutting in earth work etc..” की कुल कार्य प्रमात्रा 769.26 वर्ग मीटर का ₹165 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को ₹126928 का भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि इस कार्य मद का ठेकेदार द्वारा negotiated rate ₹165 प्रति घनमीटर अनुबंधित था न कि प्रति वर्ग मीटर। अतः इसलिए ठेकेदार को भुगतान करने से पूर्व निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना अनुबंधित भुगतान दर की unit के अनुरूप घनमीटर में की जानी अपेक्षित थी जोकि अनुमोदित प्रांकलन में ली गयी 0.20 मीटर गहराई के आधार पर 153.85 घनमीटर (769.26 वर्ग मीटर x 0.20 मीटर) बनती है तथा जिसके लिए ठेकेदार को केवल ₹25385 (153.85 घनमीटर x ₹165) का भुगतान देय बनता है। इस प्रकार वर्णित अनियमितता के कारण ठेकेदार को ₹101543 (₹126928 - ₹25385) का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशी की संबंधित उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

- 34 कार्य का नाम:** Mettalling & tarring of road in W.No. 11 near the house of shri Tej Pal Singh (Job No.49) **ठेकेदार का नाम:** Sh. Tapinder Singh, **आबंटन पत्र संख्या:** MCP/Works/2015-

16/302 दिनांक 20.06.15=427272 i.e 35.70% above HPSR, 2009(Rural Roads) वाउचर संख्या: 43 दिनांक 26.11.15=₹919077(net)(MB no.138)

(1) बिना पूर्ण औचित्य व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के निर्माण कार्यों की अतिरिक्त मदों के उच्च दरों पर क्रियान्वयन करवाने पर ₹4719 की सम्भावित वित्तीय हानी

कार्य मद संख्या:1/Extra:संख्या पुस्तिका माप)138,RE पृष्ठ 69/Abstract of cost) “Earthwork in excavation for structures as per drawing & technical specifications clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material – ordinary soil upto 3m depth etc.” की कुल कार्य प्रमात्रा 165.30 घन मीटर का ₹128.15 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹21183 का भुगतान किया गया था। वर्णित निष्पादित अतिरिक्त कार्य मद व इसकी भुगतान दर HPSR, 2009(Rural roads), Chapter 11-Foundation की कार्य मद 11.1 “Earthwork in excavation for structures” पर आधारित थी जोकि न्यायोचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि यह मद स्ट्रक्चर खड़ा करने हेतु नीव की खुदाई से सम्बन्धित थी जैसा कि कार्य मद की स्पेसिफिकेशन व चैप्टर name से भी स्पष्ट विदित होता है तथा वर्णित निर्माण कार्य में ऐसा कोई कार्य अपेक्षित नहीं था जैसा कि माप पुस्तिका 138 के पृष्ठ 67 to 69 पर इस कार्य की दर्ज प्रविष्टियों से भी विदित होता है जिसके अनुसार सिर्फ 8 इंच तक ही खुदाई की गयी थी। चूँकि निर्माण कार्य केवल सड़क को मेटल(mettle) करने के उद्देश्य से केवल आठ इंच तक खुदाई करने से सम्बन्धित था इसलिए वर्णित HPSR, 2009(Rural roads) के हिल रोड चैप्टर की आइटम 8.3(i)(A) “Excavation in soil in Hilly area by manual means including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth upto 1.5m depth and a lead upto 20m as per drawing & technical specification clause 1603.1” न्यायोचित प्रतीत होती है जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित किए बिना वर्णित कार्य ₹99.60 प्रति घनमीटर {Item Rate as per HPSR, 2009(Rural roads)=₹73.40 per cum + Contractor’s overall Premium: 35.70% above=Rs.26.20} की दर से निष्पादित किया जा सकता था तथा ऐसा न करके ठेकेदार को परिषद निधि की कास्ट(Cost) पर निम्न विवरण अनुसार ₹4719 का अनुचित लाभ पहुंचाया गया तथा नगर परिषद निधि के उपर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालकर हानी पहुंचाई गई प्रतीत होती है जिसकी पूर्ण छानबीन करने के उपरांत वस्तु स्थिति पता लगा कर न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाते हुए वर्णित हानि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा	भुगतान दर (₹ में)	न्यायोचित दर (₹ में)	भुगतान भुगतान दर में अंतर (₹ में)	अतिरिक्त वित्तीय बोझ/हानी की राशी (₹ में)
165.30 cum	128.15	99.60	28.55	4719.00
	per cum	per cum	per cum	

(2) टेंडर की शर्त अनुसार ठेकेदार द्वारा खाली Bitumen के ड्रम नगर परिषद को वापिस लौटाए जाने अपेक्षित थे किन्तु ठेकेदार को जारी 20 ड्रम बारे अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। अतः इस की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये अन्यथा निर्धारित दर से ठेकेदार से वसूली सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र

संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

35 कार्य का नाम: Mettalling & tarring of road in W.No. 9 near NH 72 towards Kirpalshilla Gurudwara (Job No.36) **ठेकेदार का नाम:** Sh.Tapinder Singh, **आबंटन पत्र संख्या:**MCP/Works/2015-16/301 दिनांक 20.06.15=1042608 i.e 53.92% above HPSR,2009(Rural Roads) **वाउचर संख्या:** 43 दिनांक 26.11.15=₹919077(nett)(MB no.138 पृष्ठ 73 to 82)

(1)बिना पूर्ण औचित्य व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के निर्माण कार्यों की अतिरिक्त मदों के उच्च दरों पर क्रियान्वयन करवाने पर ₹2364 की सम्भावित वित्तीय हानी

कार्य मद संख्या:1/Extra:संख्या पुस्तिका माप)138पृष्ठ-81,RE/Abstract of cost) “Earthwork in excavation for structures as per drawing & technical specifications clause 305.1 including setting out,construction of shoring and bracing,removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50m,dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material – ordinary soil upto 3m depth etc.” की कुल कार्य प्रमात्रा 156.05 घन मीटर का ₹128.15 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹19998 का भुगतान किया गया था। वर्णित निष्पादित अतिरिक्त कार्य मद व इसकी भुगतान दर HPSR,2009(Rural roads),Chapter 11-Foundation की कार्य मद 11.1“Earthwork in excavation for structures” पर आधारित थी जोकि न्यायोचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि यह मद स्ट्रक्चर खड़ा करने हेतु नीव की खुदाई से सम्बन्धित थी जैसा कि कार्य मद की स्पेसिफिकेशन व चैप्टर name से भी स्पष्ट विदित होता है तथा वर्णित निर्माण कार्य में ऐसा कोई कार्य अपेक्षित नहीं था जैसा कि माप पुस्तिका 137 के पर इस कार्य की दर्ज प्रविष्टियों से भी विदित होता है जिसके अनुसार सिर्फ 8 इंच तक ही खुदाई की गयी थी। चूँकि निर्माण कार्य केवल सड़क को मेटल(mettle) करने के उद्देश्य से केवल आठ इंच तक खुदाई करने से सम्बन्धित था इसलिए वर्णित HPSR,2009(Rural roads) के हिल रोड चैप्टर की आइटम 8.3(i)(A) “Excavation in soil in Hilly area by manual means including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth upto 1.5m depth and a lead upto 20m as per drawing & technical specification clause 1603.1” न्यायोचित प्रतीत होती है जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित किए बिना वर्णित कार्य ₹113 प्रति घनमीटर {Item Rate as per HPSR,2009(Rural roads)=₹73.40per cum + **Contractor’s overall Premium:** 53.92% above=₹39.58} की दर से निष्पादित किया जा सकता था तथा ऐसा न करके ठेकेदार को परिषद निधि की कास्ट(Cost) पर निम्न विवरण अनुसार ₹2364 का अनुचित लाभ पहुँचाया गया तथा नगर परिषद निधि के उपर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालकर हानी पहुँचाई गई प्रतीत होती है जिसकी पूर्ण छानबीन करने के उपरांत वस्तु स्थिति पता लगा कर न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार उचित कार्यवाही अम्ल में लाते हुए वर्णित हानि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा	भुगतान दर (₹ में)	न्यायोचित भुगतान दर (₹ में)	भुगतान दर में अंतर (₹ में)	अतिरिक्त वित्तीय बोझ /हानी की राशी (₹ में)
156.05 cum	128.15	113.00	15.15	2364.00
	per cum	per cum	per cum	

(2) टेंडर की शर्त अनुसार ठेकेदार द्वारा खाली Bitumen के ड्रम नगर परिषद को वापिस लौटाए जाने अपेक्षित थे किन्तु ठेकेदार को जारी 35 ड्रम बारे अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण

को अवगत नहीं करवाया गया। अतः इस की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये अन्यथा निर्धारित दर से ठेकेदार से वसूली सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी ।

- 36 **कार्य का नाम:** Mettalling & tarring of road in W.No. 4 near NH 72 to the house of shri Anil Bhatnagar (Job No.9) **ठेकेदार का नाम:** M/s Chanana Konstruktion works, **आबंटन पत्र संख्या:** MCP/Works/2015-16/225 दिनांक 29.05.15=933114 i.e 23.62% above HPSR,2009(Rural Roads) **वाउचर संख्या:** 29 दिनांक 10.11.15=₹335644(nett)(MB no.126 पृष्ठ 69 to 71)

(1) गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹2048 का अधिक भुगतान

निर्माण कार्य बिल की मद संख्या: 1/2 (माप पुस्तिका संख्या:126 पृष्ठ 70 Abstract of cost) “P/L spreading & compacting stone Agg. Of specific size-90mm to 45mm etc..” की कुल कार्य प्रमात्रा 166.23 घनमी० का ₹1162 प्रति घनमी० की दर से ठेकेदार को ₹193159 का भुगतान किया गया था जबकि इस कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार से अनुबंधित दर ₹1160 प्रति घनमी० थी। इसके अतिरिक्त वर्णित कार्य मद की माप पुस्तिका संख्या:126 पृष्ठ 65 & 66 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि गणना की त्रुटी के कारण RD 0/150 = 4.20m width व RD 0/165 = 3.50m width की average 4.35m{(4.20m +3.50m)/2} आंकी गयी थी जबकि वास्तविकता में यह 3.85m बनती है तथा इसी प्रकार RD 0/165 = 3.50m width व RD 0/180 = 4.40m width की average 4.45m{(3.50m+4.40m)/2} आंकी गयी थी जबकि वास्तविकता में यह 3.95m बनती है। अतः उक्त वर्णित त्रुटियों के कारण निम्न विवरण अनुसार ठेकेदार को ₹2048 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अब संबंधित उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति घन मीटर (₹ में)	अधिक भुगतान की राशी (₹ में)
15.00mx4.35mx0.10m =6.52cum	15.00mx3.85mx0.10m =5.78 cum	0.74 cum	1160per cum	858.00
15.00mx4.45mx0.10m =6.67cum	15.00mx3.95mx0.10m =5.93 cum	0.74 cum	1160per cum	858.00
जोड़ (क)				1716.00
कार्य मद की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा	भुगतान दर	अनुबंधित भुगतान दर	दर में अंतर (₹ में)	अधिक भुगतान की राशी (₹ में)

166.23cum	1162per cum	1160per cum	2.00per cum	में) 332.00 (ख)
कुल जोड़ (क) +(ख)				2048.00

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/4 दिनांक 28.02.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:JE.M.C.P./248 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी I

37 वेतन व भत्तों के रूप में ₹0.53 लाख का अधिक भुगतान

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान कर्मचारियों के वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रकरणों का उपलब्ध करवाए गये सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि श्री बारू राम शर्मा ,लिपिक दिनांक 26.03.08(FN) से अनुबंध पर कार्यरत थे तथा दिनांक 01.10.14(FN) को निश्चित वेतन ₹6890+₹1900GP=₹8790 आहरित कर रहे थे। इसके उपरांत उन्हें कार्यालय आदेश संख्या: UD-H(B)(1)-11/99,6210-6211 dated 29.09.14 & MCP/order/2013-14,844 dated 29.09.14 द्वारा वर्णित पद पर वेतनमान ` 5910-20200 + GP1900 में नियमित रूप से नियुक्त किया गया जिस पद पर उन्होंने दिनांक 01.10.14(FN) को कार्यग्रहण किया (सेवा पुस्तिका पृष्ठ 8)। नियमितीकरण के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 01.10.14 से वेतन ₹5910+₹1900GP=₹7810 व अन्य भत्ते देय थे किन्तु वास्तविक देय दर की अपेक्षा गलत दर से वेतन का भुगतान करने के कारण उन्हें अवधि 01.10.14 से 30.09.16 तक निम्न विवरण अनुसार ₹53491 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया जा चुका था जिसका या तो नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरांत अधिक भुगतान की राशि की उचित स्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

अवधि	देय वेतन(₹)	आहरित वेतन (₹)	अंतर प्रतिमाह (₹)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
01.10.14 to 31.12.14=3M	B.Pay 5910 GP 1900 DA(107%) 8357 HRA 250 Total 16417	B.Pay 6890 GP 1900 DA(107%) 9405 HRA 300 Total 18495	2078	6234
01.01.15 to 30.06.15=6M	B.Pay 5910 GP 1900 DA(113%) 8825 HRA 250 Total 16885	B.Pay 6890 GP 1900 DA(113%) 9933 HRA 1200 Total 19023	2138	12828
01.07.15to 30.09.15=3M	B.Pay 5910 GP 1900 DA(119%) 9294 HRA 250	B.Pay 6890 GP 1900 DA(119%) 10460 HRA 300	2196	6588

01.10.15to 31.12.15=3M	Total	<u>17354</u>	Total	<u>19550</u>	2261	6783
	B.Pay	6150	B.Pay	7160		
	GP	1900	GP	1900		
	DA(119%)	9580	DA(119%)	10781		
01.01.16 to 30.06.16=6M	HRA	<u>250</u>	HRA	<u>300</u>	2322	13932
	Total	<u>17880</u>	Total	<u>20141</u>		
	B.Pay	6150	B.Pay	7160		
	GP	1900	GP	1900		
01.07.16to 31.08.16=1M	DA(125%)	10063	DA(125%)	11325	2342	2342
	HRA	<u>250</u>	HRA	<u>300</u>		
	Total	<u>18363</u>	Total	<u>20685</u>		
	B.Pay	6150	B.Pay	7160		
01.08.16to 30.09.16=2M	GP	1900	GP	1900	2392	4784
	DA(127%)	10224	DA(127%)	11506		
	HRA	<u>250</u>	HRA	<u>300</u>		
	Total	<u>18524</u>	Total	<u>20866</u>		
	B.Pay	6150	B.Pay	7160		
	GP	1900	GP	1900		
	DA(127%)	10224	DA(127%)	11506		
	IR5%	403	IR5%	453		
	HRA	<u>250</u>	HRA	<u>300</u>		
	Total	<u>18927</u>	Total	<u>21319</u>		
कुल जोड़					53491	

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: MCP/2014-16/5 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी I

38 पेंशन निधि

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट "द" के अनुसार) निम्न प्रकार से थी :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹ में)	अभिदान/अंशदान	प्राप्तियां (₹ में) ब्याज	कुल योग (₹ में)	व्यय (₹ में)	अंतिम शेष (₹ में)
2014-15	2045860.00	1101534.00	239427.00	3386821.00	2776306.00	610515.00
2015-16	610515.00	5755436.00	77460.00	6443411.00	4653519.00	1789892.00

दिनांक 31.03.16 को अंतिम शेष का विवरण

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता संख्या	अंतिम शेष (₹ में)	Type of A/c
		5621011460		
1	HP State Co-op Bank	2	1789892.00	Saving
2	HP State Co-op Bank		nil	FDR
कुल जोड़			1789892.00	

दिनांक 31/3/16 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष = ₹1789892
दिनांक 31/3/16 को बैंक खाते के अनुसार अंतिम शेष = ₹1789892
अंतिम शेष में अंतर = शून्य

39 उपदान निधि

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित उपदान निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट "ध" के अनुसार) निम्न प्रकार से थी :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹ में)	प्राप्तियां (₹ में)	अभिदान/अंशदान	ब्याज	कुल योग (₹ में)	व्यय (₹ में)	अंतिम शेष (₹ में)
2014-15	1174057.00	603792.00		53465.00	1831314.00	243264.00	1588050.00
2015-16	1588050.00	571354.00		50924.00	2210328.00	1340021.00	870307.00

दिनांक 31.03.16 को अंतिम शेष का विवरण

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता संख्या	अंतिम शेष (₹ में)	Type of A/c
1	Union Bank of India	352302010009039	870307.00	Saving
2	HP State Co-op Bank		nil	FDR
	कुल जोड़		870307.00	

दिनांक 31/3/16 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष = ₹870307.00
दिनांक 31/3/16 को बैंक खाते के अनुसार अंतिम शेष = ₹870307.00
अंतिम शेष में अंतर = शून्य

40 श्री सुरेन्द्र पाल, सफाई कर्मचारी को सेवा निवृत्ति उपदान की ₹0.60 लाख की राशी का अधिक भुगतान (DOR 30.09.15)

अंकेक्षण के दौरान श्री सुरेन्द्र पाल, सफाई कर्मचारी (सेवा निवृत्ति तिथि 30.09.15) की प्रस्तुत सेवा पुस्तिका/अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि उन्हें दिनांक 01.06.81 से अस्थायी आधार पर अंशकालिक (Part Time) से पूर्णकालिक (Full Time) सफाई कर्मचारी ₹250 के निश्चित मजदूरी (Fixed wages) पर नियुक्त किया गया था। इसके उपरान्त उन्हें कार्यालय आदेश संख्या : MCP/P/85-1467 दिनांक 26.12.85 द्वारा सफाई कर्मचारी के स्वीकृत पद के विरुद्ध वेतनमान 300-400 में दिनांक 05.10.85 से नियमित नियुक्ति (Regular Apptt.) प्रदान की गई थी (सेवा पुस्तिका खंड-I पृष्ठ-I)। सेवा निवृत्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें निदेशक, शहरी विकास के आदेश संख्या : UD(H)(B)(10)-1581/15,4764-69 दिनांक 31.05.16 द्वारा पेंशन लाभ स्वीकृत किये गये थे जिसके अनुसार उनकी कुल अर्हक सेवा दिनांक 01.06.81 से गणना करके 34 वर्ष 4 माह minus 10 माह non-qualifying service = 33 वर्ष (Max.) आंकी गई थी जबकि वास्तविकता में यह उनकी नियमित नियुक्ति तिथि दिनांक 05.10.85 से आंकी जानी चाहिए थी जिसके अनुसार यह कुल 29 वर्ष 11 माह 27 दिन minus 10 माह non-qualifying service = 29 वर्ष 1 माह 4 दिन अर्थात् 29 वर्ष बनती थी। वैसे इस तथ्य से भी स्पष्ट होता कि प्रवीणता वेतन वृद्धि का लाभ भी उन्हें इसी नियमित नियुक्ति तिथि दिनांक 05.10.85 से सेवा अवधि की गणना करके ही प्रदान किया गया था। अतः अर्हक सेवा में गणना की वर्णित अनियमितता के कारण उन्हें निम्नानुसार ₹59568 की सेवा निवृत्ति उपदान की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान हुआ है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशी की सम्बन्धित उचित स्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Pay Drawn(Rs.)	Last Q.S. & Amt. Of DCRG paid (Rs.)	Q.S. & Amt. Of DCRG Due(Rs.)	Amt. Of DCRG paid in Excess (Rs.)	Remarks
B.Pay11950	33Y or 66 half	29Y or 58 half	59568	
G.Pay1650	years	years		
Total=13600	29784x66/4	29784x58/4		
DA(119%)=16184	=491436	=431868		
G.Total=29784				

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/5 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी ।

41 पेंशन व् उपदान निधि में अभिदान के विलंब से जमा करने पर दंड ब्याज न वसूलना

H.P. Municipality Employees (Pension,Gratuity&GPF)Rules,2000 के नियम 4(2) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका सवितरण अधिकारी को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का देय अभिदान पेंशन एवम् उपदान निधि में अगले माह की 5 तारीख तक जमा करवाना अनिवार्य है अन्यथा उत्तरदायी नगरपालिका को प्रचलित साधारण ब्याज की दर के ऊपर 1.5% की दर जोड़कर दंड ब्याज भरना पड़ेगा । अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि निम्न प्रकरणों में उक्त नियम की अवहेलना हुई है जहाँ निर्धारित तिथि को देय अभिदान की राशी जमा नहीं करवायी गई थी :-

माह	बैंक में अभिदान जमा करने की तिथि	अभिदान की राशी (₹ में)
		पेंशन उपदान
5/2014	06.06.14	92518 50316
7/2014	12.09.14	-- 50316
11/2014	06.12.14	92518 50316
3/2015	06.04.15	89624 50316
4/2015	06.05.15	89624 50316

अतः उपरोक्त अनियमितता की औचित्यता स्पष्ट करते हुए या तो अब इसे उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये या फिर उत्तरदायी से उक्त वर्णित नियमानुसार निर्धारित दंड ब्याज की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में इन नियमों की सही अनुपालना भी सुनिश्चित की जाये ।

42 अंशदाई पेंशन योजना निधि

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित अंशदाई पेंशन योजना निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट "न" के अनुसार) निम्न प्रकार से थी :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹ में)	प्राप्तियां (₹ में)	कुल योग (₹ में)	व्यय (₹ में)	अंतिम शेष (₹ में)
		अभिदान/अंशदान ब्याज			
2014-15	1688754.00	569684.00	116980.00	2375418.00	196476.00
2015-16	2178942.00	634117.00	142361.00	2955420.00	79877.00
					2178942.00
					2875543.00

दिनांक 31.03.16 को अंतिम शेष का विवरण

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता संख्या	अंतिम शेष (रु०में)	Type of A/c
1	HP State Co-op Bank	56210120081	2014774.00	Saving
2	HP State Co-op Bank	1907753	860769.00	FDR
	कुल जोड़		2875543.00	

दिनांक 31/3/16 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष = ₹2875543.00

दिनांक 31/3/16 को बैंक खाते के अनुसार अंतिम शेष = ₹2875543.00

अंतिम शेष में अंतर = शून्य

43 सामान्य भविष्य निधि

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित सामान्य भविष्य निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट "प" के अनुसार) निम्न प्रकार से थी :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹ में)	प्राप्तियां (₹ में)		कुल योग (₹ में)	व्यय (₹ में)	अंतिम शेष (₹ में)
		अभिदान/अंशदान	ब्याज			
2014-15	6532275.91	2049607.00	107898.00	8689780.91	4021167.00	4668613.91
2015-16	4668613.91	1615029.00	582328.09	6865971.00	1889804.00	4976167.00

दिनांक 31.03.16 को अंतिम शेष का विवरण

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता संख्या	अंतिम शेष (रु०में)	Type of A/c
1	HP State Co-op Bank	56210125137	1976167.00	Saving
2	HP State Co-op Bank	1907030	3000000.00	FDR
	कुल जोड़		4976167.00	

दिनांक 31/3/16 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष = ₹4976167.00

दिनांक 31/3/16 को बैंक खाते के अनुसार अंतिम शेष = ₹4976167.00

अंतिम शेष में अंतर = शून्य

44 सामान्य भविष्य निधि से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹19.20 लाख का अनियमित भुगतान

चयनित माह के व्यय एवम अदायगी के वाउचरों तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को किए गए अंतिम भुगतानों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को कार्यकारी अधिकारी द्वारा सा०.भ० निधि से अंतिम भुगतान /आहरण की स्वीकृतियां प्रदान की गई थी जबकि हि० प्र० सरकार द्वारा अधिसूचित Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension ,Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 के नियम 13(i) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "The advances,withdrawals and final payment from G.P.F shall be sanctioned by Director" | अतः कार्यकारी अधिकारी द्वारा सा० भ० निधि से स्वीकृत अंतिम भुगतान /आहरण की राशियाँ उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित हैं। इस सम्बन्ध में अब निम्नलिखित प्रकरणों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या व दिनांक	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	अंतिम भुगतान की राशि (₹ में)	अभियुक्ति
1	9 of 11/2015 =50000	श्री हसमत अली ,माली	50000	
2	10 of 11/2015 =20000	श्री बनारसी दास, सफाई कर्मचारी	20000	
3	11 of 11/2015 =100000	श्री रंजीत सिंह ,बेलदार	100000	
4	29 of 3/2015 =137808	श्री बाबु राम ,सेवादर	137808	अंतिम भुगतान
5	05 of 8/2015 =247702	श्री सुमेर चंद ,लिपिक	247702	अंतिम भुगतान
6	21 of 11/2014 =346724	श्री रमेश कुमार ,बेलदार	346724	अंतिम भुगतान
7	19 of 10/2014 =625248	श्री पाला राम, सफाई कर्मचारी	625248	अंतिम भुगतान
7	8 of 9/2015 =392027	श्री सुरेन्द्र पाल, सफाई कर्मचारी	392027	अंतिम भुगतान

कुल जोड़

1919509

45 सामान्य भविष्य निधि खाताधारकों को नियमानुसार देय दर से अधिक दर पर ब्याज का जमा प्रदान करने के कारण ₹14938 के ब्याज का निधि से अधिक भुगतान

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 9% की दर से सामान्य भविष्य निधि से ₹431937 के ब्याज का भुगतान किया गया था (परिशिष्ट "फ") जबकि हि० प्र० सरकार द्वारा अधिसूचित Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension ,Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 के नियम 14 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा राशी पर ब्याज हि० प्र० सरकार के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली 1960 के लागू प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। चूँकि हि० प्र० सरकार, वित्त (विनियम) विभाग के संकल्प संख्या फिन-सी-ए(3)-4/2001 दिनांक 10.06.15 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 8.7% की दर तय की है अतः कार्यकारी अधिकारी द्वारा सा० भ० निधि से नियमानुसार देय दर से अधिक दर 9% पर ब्याज स्वीकृत करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित हैं। इस अनियमितता के कारण निम्न विवरण अनुसार कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में ₹14938 का ब्याज अधिक जमा प्रदान किया गया जिसमें नियमानुसार कार्यवाही करके सामान्य भविष्य निधि की भरपाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

9% की दर से किया गया ब्याज का भुगतान (₹ में)	नियमानुसार 8.7% की दर से देय ब्याज की राशी (₹ में)	अधिक जमा प्रदान ब्याज की राशी (₹ में)
---	--	--

431937

$\frac{431937 \times 8.7}{9} = 417539$

14398

इसके अतिरिक्त यदि उक्त अनियमितता के कारण पूर्व वर्षों में भी सामान्य भविष्य निधि खातों में ब्याज अधिक जमा प्रदान किया गया हो तो उस राशी की गणना अपने स्तर पर करके नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करके सामान्य भविष्य निधि की भरपाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

46 सामान्य भविष्य निधि, पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख- रखाव नियमानुसार न करना

हि० प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या: LSG-B(1)-1/79-III दिनांक 25/4/2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को पेंशन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ -2 इसका रख रखाव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उप नियम (3) में यह प्रावधान भी किया गया है कि नगरपालिकाएं कर्मचारियों के समय वेतनमान (Time Scale) के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पेंशन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करवायेगी। उक्त नियमों के नियम 9 में आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख रखाव भी निदेशक द्वारा ही किया जाएगा। नगर परिषद के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख-रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर परिषद द्वारा ही किया जा रहा था जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है अतः यह मामला सचिव/निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय के ध्यान में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने हेतु लाया जाता है।

47 स्टोर व स्टोक का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना

हि० प्र० नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से करेंगे और कोई अंतर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। मगर नगर परिषद द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी थी जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना है जिसका ठोस तथ्यों के साथ औचित्य स्पष्ट करते हुए अब उक्त प्रावधानानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/7 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

48 सीमेंट के भण्डार लेखों का सही ढंग से रख-रखाव व् अद्यतन(updation) न करने के कारण अनियमिततायें

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर एवम अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया इनका न तो सही ढंग से रख-रखाव व् अद्यतन(updation) ही किया गया था और न ही वित्तीय वर्ष के अंत में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन(Annual physical verification) ही किया जा रहा था जिसकी अनुपस्थिति में सम्बन्धित भण्डार लेखे सही स्थिति परिलक्षित नहीं कर रहे थे जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसी परिस्थिति में भण्डार से सीमेंट के दुरुपयोग या Pilferage होने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में अंकेक्षण के दौरान पाई अनियमितताएं निम्न वर्णित है जिससे स्थिति स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है:-

(i) बिना indents के भण्डार से 210 सीमेंट बैग जारी दर्शाना

दिनांक	भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि की संख्या	भण्डार से जारी दर्शाई गई मात्रा (बैग में)	सीमेंट जारी करने से पूर्व शेष (बैग में)	सीमेंट जारी करने के बाद शेष (बैग में)	भण्डार रजिस्टर पृष्ठ संख्या	जिसके नाम सीमेंट जारी किया दर्शाया गया
05.04.14	1135	100	572	472	20	Sh. Jai Prakash & Sons, contrator
05,04.14	1136	50	472	422	20	Sh. Riyat Ali Govt., contrator
12.05.14	1176	60	767	707	25	Sh. Riyat Ali Govt., contrator

210

(ii) सीमेंट के 389 बैग स्टॉक में कम अग्रेषित/गणना करने के कारण संभावित दुर्विनियोजन

अंकेक्षणाधीन अवधि के सीमेंट स्टॉक रजिस्टर volume-V के पृष्ठ संख्या: 25, प्रविष्टि संख्या: 1184 के अनुसार दिनांक 27.05.14 को 392 बैग सीमेंट का अंतिम शेष था। इसके उपरांत नया सीमेंट रजिस्टर volume (I), जिसकी photocopies अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई तथा चर्चा में बताया गया कि सीमेंट रजिस्टर कि मूल प्रति को सतर्कता विभाग द्वारा FIR No.116/2014 के अन्तर्गत अपने कब्जे में लिया गया है, में दिनांक 30.05.14 को पिछला बकाया सीमेंट का आरम्भिक शेष 392 बैग के स्थान पर केवल 3 बैग ही दिखाया/लिया गया था अर्थात इस प्रकार 389 बैग सीमेंट कम अग्रेषित किए गए थे। कम अग्रेषित शेष के आधार पर ही सीमेंट के अंतिम शेष का दिनांक 31.3.15 को भौतिक सत्यापन, (सीमेंट रजिस्टर volume (II) पृष्ठ 11) और दिनांक 25.07.15 को कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्यभार हस्तांतरण किया गया था जिससे 389 बैग सीमेंट, जिनका बाजार मूल्य लगभग ₹1.17 लाख है, के संभावित दुर्विनियोजन का संशय उत्पन्न होता है। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा प्रकरण में पूर्ण छानबीन उपरांत उत्तरदायी से नियमानुसार वसूली करके नगर परिषद निधि की भरपाई सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(iii) Indent द्वारा जारी सीमेंट की भण्डार रजिस्टर में गणना न करना

indent संख्या	दिनांक	मांगी/प्राप्त की गई सीमेंट की मात्रा(बैग में)	दर (₹ प्रति बैगमें)	राशी (₹ में)	ठेकेदार का नाम /कार्य का नाम
30/8	26.08.15	50	300	15000	Sh.Shawshad Ali C/o U Shape C.C. Drain in ward No.2 near the house of Sh. Radhey Shyam

(iv) Indent द्वारा जारी सीमेंट व bitumen की ठेकेदार से receipt प्राप्त न करना

Indent संख्या/दिनांक	जारी Bitumen मात्रा(बैग/ड्रम में)	सीमेंट/ कार्य की सीमेंट/ Bitumen जारी हुआ	कार्य का नाम जिसके लिए ठेकेदार का नाम
01/01/30.09.14	290	Re. Const. of Street in ward no. 6 near the house of Sh. Parivinder Singh	Sh. Jahid Hussian
01/02/30.9.14	300	Re.Const.of Street in Ward no. 1 near Mohindra Agency	Sh. Partap Singh
01/03/30.09.14	100	Re. Const. of Street Ward No. 10 Job No. 25)	Sh. Kamlesh Pudheer
01/04/30.09.14	150	Re. Const. of Street Ward No. 10 Job No. 38)	Sh. Kuldeep Negi
01/05/30.09.14	150	Re. Const. of Street Ward No. 7 near Patwar Khanna	Sh. Rattan Singh
01/06/30.09.14	100	Re. Const. of Street Ward No. 3 Mehtab Gali	Sh.Rajinder Singh
01/07/30.09.14	100	Re. Const. of Street Ward No. 3 Near Apollo Tyres	Sh.Mehboob Hasson
01/08/30.09.14	100	Re. Const. of Street Ward No. 10	Sh. Mehraj Ali
01/09/30.09.14	50	Re. Const. of drain by laying pipes near the house of Sh. Onkar Singh Ward No. 6	Sh. Randheer singh
01/10/03.10.14	50	Re. Const. of Street Ward No. 6,Near the house of Sh. Parvinder Singh	Sh.Jahid Hussain
01/11/04.10.14	100	Re. Const. of Street Ward No. 1,Near Mahindra Auto	Sh.Jahid Hussain

01/13/04.10.14	20	Re. Const. of Street Ward No. 7, Pal Guest House to Mittal Plywood	Sh. Manoj Bhardwaj
01/14/04.10.14	50	Re. Const. of Street Ward No. 6, Near the house of Sh. Parvinder Singh	Sh. Jahid Hussain
01/17/18.10.14	100	Re. Const. of Street Ward No. 6, Near the house of Sh. Parvinder Singh	Sh. Jahid Hussain
01/20/18.10.14	100	Re. Const. of Street & drain in Ward No. 10	Sh. Mehraj Ali
01/23/18.10.14	170	Re. Const. of Street in Ward No. 10	Sh. Kamlesh Pudhir
02/07/20.10.14	6 Drums bitumen	c/o M/T of Road in ward No 5	Sh. Jagjeet Singh
02/09/20.10.14	12 Drums bitumen	c/o M/T of Road in ward No 7 near the house of Sh. Tomar	Sh. Manoj Chawla

(v) कार्यकारी अधिकारी द्वारा Indents की सत्यापना न करना तथा जारी सीमेंट व bitumen की ठेकेदार से receipt भी प्राप्त न करना

Indent संख्या/दिनांक	जारी सीमेंट/ Bitumen की मात्रा(बैग/ड्रम में)	कार्य का नाम जिसके लिए सीमेंट/Bitumen जारी हुआ	ठेकेदार का नाम
01/25/20.10.14	250	Re. Const. of Street Ward No. 4 Near Apollo Tyres	Sh. Mehboob Ali
01/26/20.10.14	150	Re. Const. of Street Ward No. 1	Sh. Partap Chand
01/27/20.10.14	150	Const. of drain in Ward No. 10	Sh. Kamlesh Pudhir
01/28/20.10.14	100	Re. Const. of Street Ward No. 4, Near the house of Sh. Ram Raj	Sh. Kanwar Singh
01/29/20.10.14	50	Re. Const. of Street in Ward No. 6, Near the house of Sh. Parvinder Singh	Sh. Jahid Hussain
01/30/21.10.14	50	C/o Repair of M.C. Shops	Sh. Riyat Ali
01/31/21.10.14	100	Re. Const. of Street Ward No. 6, Near the house of Sh. Parvinder Singh	Sh. Jahid Ali
01/32/21.10.14	50	C/o Laying of 600mm dia pipe line	Sh. Sajidh Ali

01/33/21.10.14	50	C/o Tourist Reception Centre M.C. Ground	Sh. Suleman
01/34/14.11.14	100	Re.Const.of Street Ward No. 3	Sh. Sajidh Ali
01/35/14.11.14	64	C/o Tourist Reception Centre M.C. Ground	Sh. Suleman
01/36/14.11.14	100	Re. Const. of Street Ward No. 6,Near the house of Sh. Parvinder Singh	Sh. Jahid Hussain
01/37/14.11.14	100	Re. Const. of Street in Ward No. 3	Sh. Partap Chand
01/38/14.11.14	100	Re. Const. of Street in Ward No. 10	Sh. Kamlesh Pudhir
01/39/14.11.14	150	Re. Const. of Street in Ward No. 4 Near Apollo Tyres	Sh. Mehboob Hussian
01/40/14.11.14	100	Re. Const. of Street & drain in Shakti Colony	Sh. Mehraj Ali
01/41/14.11.14	100	Re. Const. of Street in Ward No.4,Near the house of Sh. Mam Raj & Ram Raj	Sh. Kanwar Singh
01/42/15.11.14	100	Re. Const. of Street in Ward No. 6,Near the house of Sh. Parvinder Singh	Sh. Jahid Hussain
01/43/17.11.14	100	Re. Const. of Street in Ward No. 7,Near Range Forest Office	Sh. Suleman
01/44/18.11.14	200	Re. Const. of Street Ward No. 1	Sh. Partap Singh
01/45/18.11.14	100	Re. Const. of Street Ward No. 10	Sh. Mehraj Ali
01/46/18.11.14	100	C/o Laying of RCC Pipes in W. No. 2 near the house of Sh. B.M. Goyal	Sh. Mehraj Ali
01/47/18.11.14	100	Re. Const. of Street Ward in No. 6,Near the house of Sh. Parvinder Singh	Sh. Jahid Hussain
01/48/18.11.14	100	Re. Const. of Street Ward No. 3 Mehtab Gali	Sh.Rajinder Singh
01/49/18.11.14	100	Re. Const. of Street in Ward No. 4 Near Apollo Tyres	Sh. Mehboob Hussian

01/50/18.11.14	150	Re. Const. of Street in Ward No. 2 Near Prem Cycle	Sh. Rattan Singh
03/01/18.11.14	200	Re. Const. of Street & drain Ward No. 10 Near Shanti Colony	Sh. Kamlesh Pudhir
03/02/18.11.14	200	Re. Const. of Street in Ward No. 3	Sh. Partap Singh
03/03/18.11.14	150	Re. Const. of Street & drain in Ward No. 9	Sh. Riyat Ali
02/08/20.10.14	2 Drums bitumen	c/o M/T of Road in ward No 1	Sh. Surjeet Singh

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/7 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी ।

49 अनूपभोज्य मदों के भण्डार रजिस्टर के रख-रखाव में पाई गई अनियमितताएं

अनुपभोज्य मदों के माह 07/2014 से रख-रखाव किये जा रहे भण्डार रजिस्टर के अवलोकन पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(1) अंकेक्षणाधीन अवधि से संबन्धित अनुपभोज्य मदों के भण्डार रजिस्टर, जोकि माह 07/2014 से प्रारम्भ किया गया था, में पुराने स्टॉक रजिस्टर की वस्तुओं को अग्रेषित नहीं किया गया था जिसके अभाव में पुराने स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित बहुमूल्य वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः पुराने स्टॉक रजिस्ट्रों की सारी बहुमूल्य वस्तुओं का सक्षम अधिकारियों से भौतिक सत्यापन करवाना व नए भण्डार रजिस्टर में अग्रेषित करना सुनिश्चित करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(2) वर्णित भण्डार रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई बहुमूल्य वस्तुओं को भण्डार में इंड्राज़ करने व जारी करने के उपरान्त "कार्यालय प्रयोग के लिए सम्बन्धित को जारी की गयी" लिखकर खारिज कर दिया गया व उनके शेष को शून्य दिखाया गया था जोकि सही विधि नहीं है जबकि नियमानुसार अनुपभोज्य मदों को जारी करने का विवरण लेखांकित करते हुए उनके कुल योग को दर्शाया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार स्थायी व अर्ध-स्थायी वस्तुओं का हस्तगत शेष नियमानुसार "शून्य" होना ही नहीं चाहिए था तथा इन वस्तुओं के शेष को शून्य दर्शाया जाना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके कारण इनके दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इस अनियमितता के कुछ उद्धारण निम्न प्रस्तुत हैं:-

Name/Qty. of item	Name of the Firm/Bill No./Date	Amount spent on	Stock Register	To whom issued	Balance shown
-------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	----------------	---------------

purchased		purchase of item	page No.		in Stock Register
Air cooler/6Nos.	Mukesh Innovative Sloutions, Paonta Sahib 210/07.07.14	43200	01	All Shown issued to Officers/officials of M.C. Paonta	Nil
UPS/4 Nos.	-do-	9200	03	-do-	Nil
Computers, Web camara & speakers/ 4Nos each	Al-Khan Computer Hardware & Electricals, Paonta Sahib/363/27/09.14	132930	08	-do-	Nil
H.P. Leser Zet Printer/ 1 No.	-do-	13125	09	-do-	Nil
HP All in one Deskjet Printer/1 No.	-do-	5093	10	-do-	nil
Computer Tables/4Nos.	Sharma Industries, Badri, Paonta Nagar/2311/25.09.14	23888	11	-do-	Nil
Computer Chairs/4Nos.	-do-	19337	12	-do-	Nil
Calculator/1 No.	Saini Enterprises, Paonta Sahib/536/13.11.14	375	13	-do-	Nil
Room Heater/5Nos.	Prem Enterprises, Paonta Sahib/934/01.01.15	3250	15	-do-	Nil
Locks/4Nos.	Shiv Traders, Paonta/555/7.4.15	240	17	-do-	Nil
Locks/10Nos.	Surjan Singh & Sons 473/22.03.16	1000	17	-do-	Nil
Almirah/3 Nos.	Himachal Khadi Ashram/283/03.2.16	23700	19	-do-	Nil

अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता कि वह इस मामले में नियमानुसार भौतिक सत्यापन करवाना एवं वस्तुओं के कुल शेष को भण्डार रजिस्टर में दर्शाया जाना सुनिश्चित करवाते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: MCP/2014-16/7 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने

सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

50 नगर परिषद द्वारा उपयोग की जा रही निम्न वर्णित विभिन्न गाड़ियों की लॉग बुकों से सम्बन्धित अनियमितताएं

नगर परिषद के विभिन्न वाहनों की चयनित मासों की लॉग बुक का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:-

(1) नगर परिषद द्वारा गाड़ियों की औसत तेल खपत निर्धारित न करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर परिषद द्वारा रख-रखाव की जा रही निम्न वर्णित विभिन्न गाड़ियों की औसत तेल खपत नियमानुसार निर्धारित नहीं की गई थी जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान इन गाड़ियों की लॉग बुक में माह के अंत में दर्शायी गई वास्तविक तेल खपत की औसत की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव नहीं हो सकी :-

वाहन का नाम	वाहन संख्या
ट्रैक्टर	एच0पी0-17-3630
श्री व्हीलर	एच०पी०17 बी -1353
श्री व्हीलर	एच०पी०17 बी -1354
डम्पर प्लेसर	एच०पी०-17B-0448
डम्पर प्लेसर	एच0पी0-17-4209
मारुति कार Alto800	एच०पी०-17A-3939

अतः नियमानुसार सक्षम अधिकारी से गाड़ियों की औसत मासिक तेल खपत निर्धारित करवाने के अतिरिक्त यदि अंकेक्षण अवधि 04/14 से 03/16 के दौरान किसी माह में औसत तेल खपत निर्धारित औसत कम पाई जाए तो ऐसे प्रकरणों में अधिक तेल खपत की उचित खोत से वसूली भी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) श्री व्हीलरों का उपयोग न किए जाने बारे

अंकेक्षण को नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नानुसार नगर परिषद के कार्यों हेतु क्रय किये गए श्री व्हीलर्स का उपयोग नहीं किया जा रहा था :-

वाहन संख्या	क्रय की तिथि	वाहन का क्रय मूल्य (₹) (लाखों में)	तिथि जिस के बाद वाहन का उपयोग नहीं किया गया
एच०पी० 17 बी -1353	मई/2009	2.66	03/08/2013
एच०पी० 17 बी -1354	मई/2009	2.66	01/09/2011
	कुल योग	5.32	

श्री व्हीलर्स के उपयोग न किये जाने पर चर्चा के दौरान नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किए गए और यदि यह वाहन नगर परिषद के लिए उपयोगी ही नहीं है तो इनको क्रय करने का नगर परिषद का निर्णय व नगर परिषद निधि से ₹5.32 लाख का किया गया व्यय विवेक पूर्ण/औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 इनकी उपयोगिता बारे नगर परिषद स्तर पर यथा सम्भव प्रयास किए जाए ताकि कई वर्षों से खड़े इन वाहनों को जंग/Depreciation से होने वाले मूल्य हास से बचाया जा सके और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाए जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) एच०पी०-17B-0448 व एच०पी०-17-4209 की लॉग बुक्स का नियमानुसार रख-रखाव न किए जाने बारे

उपरोक्त गाड़ियों की चयनित मासों की लाग बुक का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन वाहनों का प्रयोग विभिन्न स्थानों से कूड़ा एकत्रित करके डम्पिंग साइट पर पहुँचाने हेतु किया जा रहा था। विभिन्न वार्डों से कूड़ा एकत्रित करने व डम्पिंग साइट तक तय दूरी का विवरण लॉग बुक में नहीं दर्शाया जा रहा था बल्कि प्रतिदिन कुल कितने चक्र (Trip) लगाए जा रहे थे, का विवरण ही लॉग बुक में दर्शाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा लॉग बुक में कटिंग्स, दर्ज दैनिक प्रविष्टियों तथा तेल खपत की मासिक औसत का नियमित रूप से सत्यापन नहीं किया जा रहा था जिसके आभाव में दर्शाई गई यात्राओं का अंकेक्षण सम्भव नहीं हो सका और ऐसे में वाहन/डीजल के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत कराया जाए तथा भविष्य में लॉग बुक्स का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: MCP/2014-16/7 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी

(4) अंकेक्षण को अभिलेख प्रस्तुत न करना

निम्न विवरण के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि का सीमेंट व bitumen से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा चर्चा के दौरान बताया गया कि उक्त अवधि के सीमेंट के इंडेंट्स तथा स्टॉक रजिस्टर को सतर्कता विभाग द्वारा FIR No.116/2014 के अन्तर्गत अपने कब्जे में लिया गया है:-

(क) अवधि 30.05.14 से 30.09.14 तक के सीमेंट के Indents;

(ख) अवधि 19.05.14 से 14.11.14 तक का सीमेंट रजिस्टर छाया प्रति के रूप में उपलब्ध करवाया गया था जिसके आधार पर ही अवधि 30.09.14 से 14.11.14 में Indents द्वारा जारी सीमेंट/अभिलेख का अंकेक्षण किया गया।

(ग) अवधि 01.04.14 से 22.09.14 तक का bitumen स्टॉक रजिस्टर व Indents अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके आभाव में 31.3.14 का अंतिम शेष का अग्रेषण, उक्त अवधि में क्रय/जारी Bitumen की

स्टॉक में गणना व 22.09.14 को स्टॉक रजिस्टर में दर्शाए गए आरम्भिक शेष की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी।

(घ) contractor ledgers, MAS तथा work registers

नगर परिषद द्वारा विभिन्न निर्माण/मुरम्त कार्यों से संबन्धित contractor ledgers तथा work registers का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था जिसके आभाव में अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान स्टॉक से विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जारी 31612 nos. सीमेंट बैग (औसतन मूल्य ₹67 लाख) व 463 drums bitumen(औसतन मूल्य 36 लाख, अवधि 22.9.14 से 31.3.16 तक) की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से वास्तविकता में सुनिश्चित की गई है याकि नहीं, का अंकेक्षण सम्भव नहीं हो सका तथा ऐसी परिस्थिति में भण्डार से जारी bitumen व सीमेंट के दुरुपयोग या Pilferage होने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: MCP/2014-16/7 दिनांक 02.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./Accounts/266 दिनांक 06.03.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक उक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसे अब आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके सत्यापन करवाई जानी सुनिश्चित की जाए ।

- 51 लघु आपत्ति विवरणिका:-सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी ।
- 52 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय-2 पर अध्ययन (Updation) एवम पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों पर तुरंत ठोस कार्यवाही करने की नितांत आवश्यकता है ।

हस्ता/-
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:-V-42 फिन(एल0ए0डी0)खण्ड-3-5501-5502, दिनांक,05.09.17 शिमला-09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है ।
- पंजीकृत 2 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद पाँवटा साहिब, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें ।

हस्ता/-
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

फोन नं० ०१७७-२६२०८८१

परिशिष्ट "क"

पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण:- गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/62 से 12/64

1 पैरा-7 अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/65 से 1/69

1 पैरा-3 अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 3/69 से 11/70

1 पैरा-7 अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/70 से 08/72

1 पैरा-3 अनिर्णीत

2 पैरा-4 अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/72 से 3/77

1 पैरा-9 (2) अनिर्णीत

2 पैरा-15 अनिर्णीत

3 पैरा-16 (1) अनिर्णीत

4 पैरा-17 व 19 अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/77 से 3/82

1 पैरा-6 व 7 अनिर्णीत

2 पैरा-8 (ए) अनिर्णीत

3 पैरा-8 (बी) अनिर्णीत

4 पैरा-9 (ए) अनिर्णीत

5 पैरा-9 (बी) अनिर्णीत

6 पैरा-9 (डी) अनिर्णीत

7 पैरा-10 अनिर्णीत

8 पैरा-23 अनिर्णीत

9 पैरा-41 अनिर्णीत

10	पैरा-42	अनिर्णीत
11	पैरा-47 व 48	अनिर्णीत
12	पैरा-53 व 56	अनिर्णीत
13	पैरा-62, 65, 66 व 69	अनिर्णीत
14	पैरा-73, 74 व 77	अनिर्णीत
15	पैरा-78 (एफ) (1) (2)	अनिर्णीत
16	पैरा-80 व 83	अनिर्णीत
17	पैरा-92, 93, 94, 95 व 97	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/84

1	पैरा-6 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा-16 (ए) (सी) (एल)	अनिर्णीत
3	पैरा-19 (2) से 19 (27) तक	अनिर्णीत
4	पैरा-21	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/87

1	पैरा-5, 6, 7	अनिर्णीत
2	पैरा-9, 10, 11, 13, 14 (ए) 17, 24, 25	अनिर्णीत
3	पैरा-26 (10) (16) (22)	अनिर्णीत
4	पैरा-27 (1)(2)(4)(5)(8वीं)(8सी)	अनिर्णीत
5	पैरा-27 (10) से 27 (21) तक 27 (24) से 27 (27) तक	अनिर्णीत

6 पैरा-31 अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/89

1 पैरा-4 (ग) अनिर्णीत

2 पैरा-19, 21 अनिर्णीत

3 पैरा-23 (1) (2) अनिर्णीत

4 पैरा-24 आंशिक
अनिर्णीत

5 पैरा-25 (2) अनिर्णीत

6 पैरा-28, 29, 30, 31 अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/91

1 पैरा-5 (क) (1) आंशिक
अनिर्णीत

2 पैरा-5 (घ) अनिर्णीत

3 पैरा-5 (ङ) अनिर्णीत

4 पैरा-6 (ग) आंशिक
अनिर्णीत

5 पैरा-6 (घ) आंशिक
अनिर्णीत

6 पैरा-6 (ङ) अनिर्णीत

7 पैरा-7 (1) (20)(30) अनिर्णीत

8 पैरा-8, 9 (1) (2) अनिर्णीत

9 पैरा-10 अनिर्णीत

10 पैरा-11 (घ) (1) अनिर्णीत

11 पैरा-11 (छ) (1) अनिर्णीत

व (2)

12 पैरा-11 (ङ) (3) अनिर्णीत

13	पैरा-11 (3) (ग)	अनिर्णीत
14	पैरा-14 (1)(2)(3)	अनिर्णीत
15	पैरा-14 (4) (वार्ड नं0 2 से 11)	अनिर्णीत
16	पैरा-17 (ख) (1 से 4)	अनिर्णीत
17	पैरा-21 (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा-22 (क, ख)	अनिर्णीत
19	पैरा-23, 24 (क से च)	अनिर्णीत
20	पैरा-25 (1 से 9)	अनिर्णीत
21	पैरा-28 (क, ख) (1), 28 (ख) (2)	अनिर्णीत
22	पैरा-28 (ग), 29, 30	अनिर्णीत
23	पैरा-25 (11)	अनिर्णीत
24	पैरा-25 (13 से 19)	अनिर्णीत
25	पैरा-25 (21 से 30)	अनिर्णीत
26	पैरा-26, 27 (क, ख)	अनिर्णीत
27	पैरा-33	अनिर्णीत
28	पैरा-34 (क)	अनिर्णीत
29	पैरा-34 (ख)	अनिर्णीत
30	पैरा-35 (2)	अनिर्णीत
31	पैरा-35 (3)	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/99

1	પૈરા-5	અનિર્ણીત
2	પૈરા-6 (ગ)	અનિર્ણીત
3	પૈરા-7	અનિર્ણીત
4	પૈરા-10	અનિર્ણીત
5	પૈરા-13	અનિર્ણીત
6	પૈરા-16 (ક)	અનિર્ણીત
7	પૈરા-17 (ક, ખ)	અનિર્ણીત
8	પૈરા-18	અનિર્ણીત
9	પૈરા-22 (ક)	અનિર્ણીત
10	પૈરા-22 (ગ) (xiv)	અનિર્ણીત
11	પૈરા-22 (ગ) (xv)	અનિર્ણીત
12	પૈરા-22 (ઘ)	અનિર્ણીત
13	પૈરા-22 (ઙ)	અનિર્ણીત
14	પૈરા-23	અનિર્ણીત
15	પૈરા-24 (ક)(ગ)	અનિર્ણીત
16	પૈરા-26 (ક) (i)	અનિર્ણીત
17	પૈરા-27 (ક, ખ, ગ, ઘ, ઙ)	અનિર્ણીત
18	પૈરા-27 (જ) (ઝ)	અનિર્ણીત
19	પૈરા-28	અનિર્ણીત
20	પૈરા-29 (ગ)	અનિર્ણીત
21	પૈરા-30	અનિર્ણીત
22	પૈરા-31 (ચ)	અનિર્ણીત

23	पैरा-32 (ग)	अनिर्णीत
24	पैरा-34 (ग)	अनिर्णीत
25	पैरा-34 (ज)	अनिर्णीत
26	पैरा-34 (ढ)	अनिर्णीत
27	पैरा-34 (ण)	अनिर्णीत
28	पैरा-34 (ख)	अनिर्णीत
29	पैरा-34 (ङ)	अनिर्णीत
30	पैरा-34 (च)	अनिर्णीत
31	पैरा-34 (छ)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2007

1	पैरा-1	अनिर्णीत
2	पैरा-2	अनिर्णीत
3	पैरा-3	अनिर्णीत
4	पैरा-4 (ए) (1)	अनिर्णीत
5	पैरा-4 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा-4 (बी) (1)	अनिर्णीत
7	पैरा-4 (बी) (2)	अनिर्णीत
8	पैरा-4 (बी) (3)	अनिर्णीत
9	पैरा-4 (बी) (4)	अनिर्णीत
10	पैरा-4 (बी) (5)	अनिर्णीत
11	पैरा-4 (सी) (1)	अनिर्णीत
12	पैरा-4 (सी) (2)	अनिर्णीत
13	पैरा-4 (सी) (3)	अनिर्णीत
14	पैरा-4 (सी) (4)	अनिर्णीत
15	पैरा-4 (सी) (5)	अनिर्णीत

16	પૈરા-4 (સી)(7)(1)	અનિર્ણીત
17	પૈરા-4 (સી)(8)(1)	અનિર્ણીત
18	પૈરા-4 (સી) (9)	અનિર્ણીત
19	પૈરા-4 (સી) (10)	અનિર્ણીત
20	પૈરા-4 (ડી)	અનિર્ણીત
21	પૈરા-4 (ઈ)	અનિર્ણીત
22	પૈરા-4 (ઈ) (1)	અનિર્ણીત
23	પૈરા-4 (ઈ) (2)	અનિર્ણીત
24	પૈરા-4 (ઈ) (3)	અનિર્ણીત
25	પૈરા-4 (ઈ) (4)	અનિર્ણીત
26	પૈરા-4 (એફ) (1)	અનિર્ણીત
27	પૈરા-4 (એફ) (2)	અનિર્ણીત
28	પૈરા-4 (એફ) (3)	અનિર્ણીત
29	પૈરા-4 (એફ) (4)	અનિર્ણીત
30	પૈરા-4 (એફ) (5)	અનિર્ણીત
31	પૈરા-4 (એફ) (6)	અનિર્ણીત
32	પૈરા-4 (એફ) (7)	અનિર્ણીત
33	પૈરા-4 (એફ) (8)	અનિર્ણીત
34	પૈરા-4 (એફ) (9)	અનિર્ણીત
35	પૈરા-6 (2)	અનિર્ણીત
36	પૈરા-6 (3)	અનિર્ણીત
37	પૈરા-6 (4)	અનિર્ણીત
38	પૈરા-6 (5)	અનિર્ણીત

39	पैरा-6 (6)	अनिर्णीत
40	पैरा-6 (7)	अनिर्णीत
41	पैरा-6 (8)	अनिर्णीत
42	पैरा-6 (9)	अनिर्णीत
43	पैरा-6 (10)	अनिर्णीत
44	पैरा-7 (1)	अनिर्णीत
45	पैरा-7 (2)	अनिर्णीत
46	पैरा-7 (3)(1)	अनिर्णीत
47	पैरा-7 (3)(2)	अनिर्णीत
48	पैरा-7 (3)(3)	अनिर्णीत
49	पैरा-7 (3)(4)	अनिर्णीत
50	पैरा-7 (3)(5)	अनिर्णीत
51	पैरा-7 (3)(6)	अनिर्णीत
52	पैरा-7 (3)(7)	अनिर्णीत
53	पैरा-7 (3)(8)	अनिर्णीत
54	पैरा-7 (3)(9)	अनिर्णीत
55	पैरा-7 (3)(10)	अनिर्णीत
56	पैरा-8 (1)	अनिर्णीत
57	पैरा-8.2 (1)	अनिर्णीत
58	पैरा-8.2 (2)	अनिर्णीत
59	पैरा-8.2 (3)	अनिर्णीत
60	पैरा-9 (1)	अनिर्णीत
61	पैरा-10	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा-5 (क) से (ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा-7 (क) से (ड)	अनिर्णीत	
3	पैरा-7 (ढ)	निर्णीत	राशी की वसूली करने पर निर्णीत
4	पैरा-7 (ण) से (द)	अनिर्णीत	
5	पैरा-8 (क) से (ग)	अनिर्णीत	
6	पैरा-8 (ड०) से (छ)	अनिर्णीत	
7	पैरा-8 (त्र) से (ट)	अनिर्णीत	
8	पैरा-9 (क) से (ठ)	अनिर्णीत	
9	पैरा-9 (ढ) से (द)	अनिर्णीत	
10	पैरा-10 (क) से (च)	अनिर्णीत	
11	पैरा-11 (क) से (ड०)	अनिर्णीत	
12	पैरा-12 (क) से (घ)	अनिर्णीत	
13	पैरा-13 (क) से (छ)	अनिर्णीत	
14	पैरा-14	अनिर्णीत	
15	पैरा- (क) से (ग)	अनिर्णीत	

(ढ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12

1	पैरा-5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
2	पैरा-5.1	अनिर्णीत	
3	पैरा-6	अनिर्णीत	
4	पैरा-7.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
5	पैरा-7.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
6	पैरा-7.3	अनिर्णीत	
7	पैरा-7.4	अनिर्णीत	

8	पैरा-7.5	अनिर्णीत	
9	पैरा-7.6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
10	पैरा-7.8	अनिर्णीत	
11	पैरा-7.11	निर्णीत	राशी की वसूली करने पर निर्णीत
12	पैरा-7.12	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
13	पैरा-7.13	अनिर्णीत	
14	पैरा-7.14	अनिर्णीत	
15	पैरा-7.15	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
16	पैरा-7.16	अनिर्णीत	
17	पैरा-8	अनिर्णीत	
18	पैरा-8.1	अनिर्णीत	
19	पैरा-8.2	निर्णीत	राशी की वसूली करने पर निर्णीत
20	पैरा-9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
21	पैरा-10	अनिर्णीत	
22	पैरा-10.1	अनिर्णीत	
23	पैरा-10.3	अनिर्णीत	
24	पैरा-10.4	अनिर्णीत	
25	पैरा-10.4.1	अनिर्णीत	
26	पैरा-10.5	अनिर्णीत	
27	पैरा-11	अनिर्णीत	
28	पैरा-11.1	अनिर्णीत	
29	पैरा-11.1.1	अनिर्णीत	

30	पैरा-11.2	अनिर्णीत
31	पैरा-11.4	अनिर्णीत
32	पैरा-11.5	अनिर्णीत
33	पैरा-12	अनिर्णीत
34	पैरा-12.1	अनिर्णीत
35	पैरा-12.2	अनिर्णीत
36	पैरा-12.3	अनिर्णीत

37	पैरा-13.1	अनिर्णीत
38	पैरा-13.2	अनिर्णीत
39	पैरा-14	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/12 से 3/14

1	पैरा-3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर निर्णीत
2	पैरा-4.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
3	पैरा-4.2. (i) (क)	निर्णीत	भुगतान चैक की रोकड़ बही में reverse प्रविष्टि करने पर निर्णीत
4	पैरा-4.2. (i) (ख)	निर्णीत	आय के चैक की रोकड़ बही में reverse प्रविष्टि तथा राशी की नकद वसूली करने पर निर्णीत
5	पैरा-4.2. (ii) (क)	निर्णीत	भुगतान चैक की रोकड़ बही में reverse प्रविष्टि करने पर निर्णीत
6	पैरा-4.2.(ii)(ख)	निर्णीत	राशी की रोकड़ बही में refund प्रविष्टि करने पर निर्णीत
7	पैरा-4.2.(ii)(ग)	निर्णीत	ब्याज की रोकड़ बही में गणना करने पर निर्णीत
8	पैरा-5 (क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त

9	पैरा-5 (ख)	निर्णीत	प्रस्तुत प्रतिउत्तर अनुसार वस्तु स्थिति की सत्यापना करने पर निर्णीत
10	पैरा-5 (ग)	निर्णीत	प्रस्तुत प्रतिउत्तर अनुसार वस्तु स्थिति की सत्यापना करने पर निर्णीत
11	पैरा-6 (1)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
12	पैरा-6 (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा-6 (3)	अनिर्णीत	
14	पैरा-6 (4)	अनिर्णीत	
15	पैरा-6 (5)	निर्णीत	अंकेक्षण के सुझावानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने पर निर्णीत
16	पैरा-6 (6)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
17	पैरा-7 (i)	अनिर्णीत	
18	पैरा-7 (ii)	अनिर्णीत	
19	पैरा-7 (iii)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
20	पैरा-8	अनिर्णीत	
21	पैरा-9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
22	पैरा-10 (1) (i)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
23	पैरा-10 (1) (ii)	अनिर्णीत	

24	पैरा-10 (2)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
25	पैरा-10 (3)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
26	पैरा-11	अनिर्णीत	
27	पैरा-12	अनिर्णीत	
28	पैरा-13	निर्णीत	प्रस्तुत प्रतिउत्तर अनुसार वस्तु स्थिति की सत्यापना करने पर निर्णीत
29	पैरा-14	अनिर्णीत	
30	पैरा-15	अनिर्णीत	
31	पैरा-16	अनिर्णीत	
32	पैरा-17	अनिर्णीत	
33	पैरा-18	अनिर्णीत	
34	पैरा-19 (1)	अनिर्णीत	
35	पैरा-19 (2)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
36	पैरा-19 (3)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
37	पैरा-19 (4)	अनिर्णीत	
38	पैरा-19 (5)	अनिर्णीत	
39	पैरा-19 (6)	अनिर्णीत	
40	पैरा-19 (7)	अनिर्णीत	
41	पैरा-19 (8)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त

42	पैरा-19(9) (i)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
43	पैरा-19(9) (ii)	अनिर्णीत	
44	19(9) (iii)	अनिर्णीत	
45	पैरा-19(9) (iv)	अनिर्णीत	
46	पैरा-19(9) (v)	निर्णीत	अंकेक्षण के सुझावानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने पर निर्णीत
47	पैरा-19(9) (vi)	निर्णीत	अंकेक्षण के सुझावानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने पर निर्णीत
48	पैरा-19(9) (vii)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
49	पैरा-19(9) (viii)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
50	पैरा-19(9) (ix)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
51	पैरा-19(9) (x)	निर्णीत	राशी की वसूली करने पर निर्णीत
52	पैरा-20	अनिर्णीत	
53	पैरा-21	अनिर्णीत	
54	पैरा-22	अनिर्णीत	
55	पैरा-23	अनिर्णीत	
56	पैरा-24	अनिर्णीत	
57	पैरा-25(i)	निर्णीत	सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्णीत
58	पैरा- 25(ii) (क) से (घ) तक	निर्णीत	सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित वेतन निर्धारण के परिणाम स्वरूप अंकेक्षण पैरे का पुनरावलोकन करने पर निर्णीत

59	पैरा-25 (iii)	निर्णीत	सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित वेतन निर्धारण के परिणाम स्वरूप अंकेक्षण पैरे का पुनरावलोकन करने पर निर्णीत
60	पैरा-26	निर्णीत	अंकेक्षण के सुझावानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने पर निर्णीत
61	पैरा-27	अनिर्णीत	
62	पैरा-28 (i)	अनिर्णीत	
63	पैरा-28 (ii)	अनिर्णीत	
64	पैरा-29	अनिर्णीत	
65	पैरा-30	अनिर्णीत	
66	पैरा-31	अनिर्णीत	
67	पैरा-32	अनिर्णीत	
68	पैरा-33 (i)	निर्णीत	राशी की वसूली करने पर निर्णीत
69	पैरा-33 (ii)	निर्णीत	राशी की वसूली करने पर निर्णीत
70	पैरा-34	अनिर्णीत	
71	पैरा-35 (क)	अनिर्णीत	
72	पैरा-35 (ख)	अनिर्णीत	
73	पैरा-36	अनिर्णीत	
74	पैरा-37	अनिर्णीत	
75	पैरा-38 (क)	अनिर्णीत	
76	पैरा-38 (ख)	अनिर्णीत	
77	पैरा-39	अनिर्णीत	
78	पैरा-40	अनिर्णीत	
79	पैरा-41	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
80	पैरा-42 (i)	अनिर्णीत	
81	पैरा-42 (ii)	अनिर्णीत	

82	पैरा-42 (iii)	अनिर्णीत
83	पैरा-42 (iv)	अनिर्णीत
84	पैरा-42 (v)	अनिर्णीत
85	पैरा-43 (क)	अनिर्णीत
86	पैरा-43 (ख)	अनिर्णीत
87	पैरा-43 (ग)	अनिर्णीत
88	पैरा-44	अनिर्णीत
89	पैरा-45	अनिर्णीत
90	पैरा-46 (i) से (iii)	अनिर्णीत
91	पैरा-47	अनिर्णीत
92	पैरा-48 (i) (1से 5)	अनिर्णीत
93	पैरा-48 (ii) (1से 5)	अनिर्णीत
94	पैरा-49	अनिर्णीत
95	पैरा-50	अनिर्णीत